छात्र संकल्प

जुलाई 2020

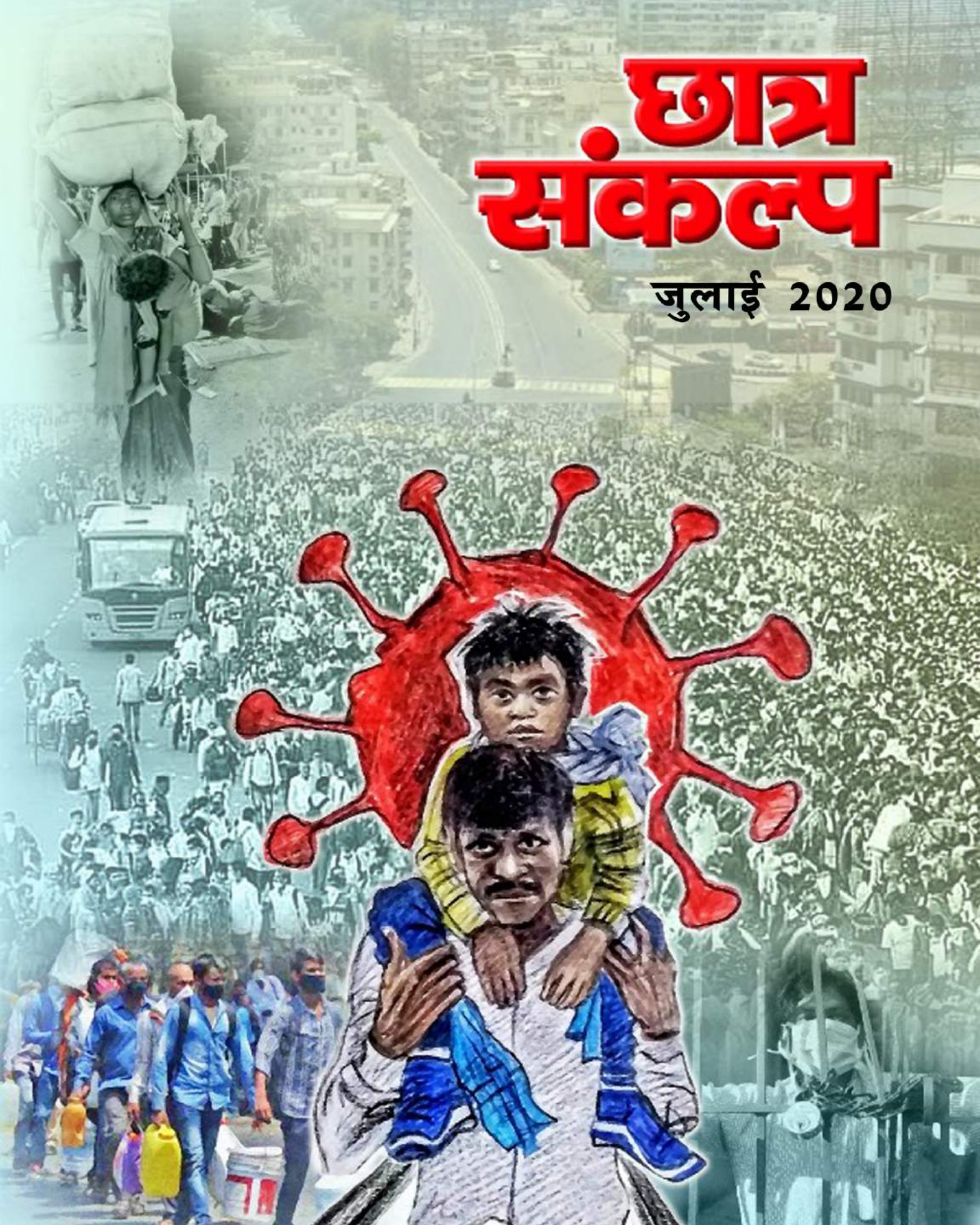

छात्र संकल्प

जुलाई 2020

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (ए.आई.डी.एस.ओ.) का हिन्दी मुख पत्र

★

संपादक

सौरव घोष

ए.आई.डी.एस.ओ. की अखिल भारतीय कमेटी की ओर से वी.एन. राजशेखर द्वारा प्रकाशित व मुद्रित।

प्रकाशित

48 लेनिन सारणी कोलकाता 700013

मोबाइल 9933653299, 9449612285

ई मेलः chhatrasankalp2812@gmail.com

दिल्ली कार्यालयः 3ए/38 डब्लू.ई.ए. करोल बाग नई दिल्ली, पिनः 110005

इलेकट्रॉनिक संस्करण

(सहयोग राशि नहीं है।)

विषय सूची

- COVID-19 का कहर और वक्त की पुकार
- डॉ. तरुण मंडल से साक्षात्कार
- पी.पी.ई. किट, भोजन, आवास की मांग को लेकर देशव्यापी ऑनलाईन अभियान।
- "स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी" ऑनलाइन अभियान
- COVID-19 के बीच AIDSO द्वारा किये गए राहत कार्य
- "सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा!"
- मानवता के साथ खड़े हुए कलाकार
- 'मैं साँस नहीं ले पा रहा हुँ!'
- ऑनलाइन शिक्षा एक समीक्षा
- शराबबंदी आंदोलन
- सांगठनिक खबरें
- एम.एच.आर.डी. को दिया गया ज्ञापन
- स्टूडेंट्स प्लेज द्वारा फेसबुक लाइव व्याख्यान श्रृंखला
- COVID-19 के दौरान शिक्षा समस्याओं के खिलाफ देश भर में किए गए आंदोलन

कार्तिक सोम
लाल सलाम

बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि छात्र संगठन एआईडीएसओ के झारखण्ड राज्य सचिव मंडल सदस्य कार्तिक सोम की मृत्यु दिनांक 1 जून 2020 दोपहर 2:00 बजे वज्रपात से हो गई है। कॉमरेड कार्तिक सोम हमारी देश की सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी एस.यू.सी.आई. (सी) के आवेदन कारी सदस्य थे । कॉमरेड कार्तिक सोम जामिनी कांत B-Ed कॉलेज घाटशिला, के B-Ed में पढ़ाई कर रहे थे ।

सन 2010 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए घाटशिला आए और हमारे छात्र संगठन एआईडीएसओ के संपर्क में आए और स्नातक की पढ़ाई घाटशिला कॉलेज में ही किए। स्नातकोत्तर की पढ़ाई कोल्हान विश्वविद्यालय पीजी विभाग चाईबासा में किए । जब इंटरमीडिएट की पढ़ाई घाटशिला कॉलेज में कर रहे थे उसी समय हमारे प्रिय संगठन एआईडीएसओ के संपर्क में आए और कॉलेज में छात्रों की समस्याओं को लेकर चल रहे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते रहे, उन्होंने संगठन के साथ जुड़कर धीरे-धीरे क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी भागीदारी को बढ़ाया।कॉमरेड शिवदास घोष के विचारो से प्रभावित होकर छात्र आंदोलन को एकजुट करने में भूमिका महत्तवपूर्ण रही। कॉमरेड कार्तिक सोम एक आर्थिक रूप से बहुत ही पिछड़े परिवार से संबंध रखते थे, आर्थिक तंगी और पारिवारिक दबाव के बावजूद भी वो क्रांतिकारी जीवन में बढ़ते रहे। उनकी सहजता सरलता अन्य लोगों के लिए आकर्षण का बिंदु था। कॉमरेडो के प्रति उनका असीम प्यार था। वे सदैव अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निष्ठा पूर्वक पूरा करने के लिए हर कोशिश करते थे । उनकी मृत्यु की खबर हमारे संगठन के लिए एक प्रकार की बड़ी क्षति है। क्रान्तिकारी छात्र संगठन एआईडीएसओ उनके क्रांतिकारी जीवन में किए हुए संघर्षों को हमेशा याद करेगा और उनके सहज सरल जीवन से सीख लेते हुए हम सभी साथी एक नई ऊर्जा के साथ अपने संघर्ष को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

छात्र आंदोलन अमर रहे! इंकलाब जिंदाबाद !
कॉमरेड कार्तिक सोम को लाल सलाम !

COVID-19 का कहर और वक्त की पुकार

कोविड-19 का कहर आज विश्व के कई देशों में फैल चुका है, और अब यह एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। अब तक विश्वभर में इस वायरस के चलते मरने वालों की संख्या करीब पाँच लाख पहुँचने वाली है। भारत में अब तक इस वायरस से करीब10 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चूँकी यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, जिसे बड़े पैमाने पर हो जाने की स्थिति में सामुदायिक फैलाव (Community transmisson) कहा जाता है, इसीलिए इसकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। देशभर में हर घंटे हर मिनट कई लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और सही जाँच व इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गँवा रहे हैं। आगे और इस महामारी के चलते कितने लोगों की जानें जाएंगी, कितने दिनों तक इस वायरस का आक्रमण जारी रहेगा और कब तक जीवन में सामान्यता लौटेगी यह सब अभी कह पाना बिल्कुल अनिश्चित है। लेकिन इस सबके बीच जो बात विचारणीय है, जो हर विवेकशील व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है वह यह की क्या इस परिमाण में मृत्यु अनिवार्य थी? क्या इसे रोका या कम नहीं किया जा सकता था? आइए इन सवालों के जवाब को जानने का प्रयास करें।

आप में से जो भी खबर रखते हैं यह जानते होंगे की सर्वप्रथम यह वायरस मानव शरीर में चीन के वुहान शहर में नवंबर 2019 में पाया गया था। पर चीनी सरकार जो आज भी एक कम्युनिस्ट पार्टी होने का लबादा ओढ़े हुए हैं और जो वास्तव में लंबे समय पहले ही प्रतिक्रांति के चलते एक पूंजीवादी देश बन चुका है, ने अपने मुनाफे के व्यापार को बनाए रखने के लिए इस वायरस के खतरे को गंभीरता से नहीं लिया और इसकी जानकारी को दबा दिया। परिणामस्वरूप यह वायरस वुहान शहर में तेजी से फैल गया। अंततः जब इसे और दबाकर नहीं रखा जा सका तब चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू एच ओ) को इसकी सूचना दी। 5 जनवरी 2020 को डब्लू.एच.ओ. ने रोग के प्रकोप के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की और उसके एक हफ्ते बाद चीन ने वायरस की आनुवंशिक अनुक्रम प्रकाशित की। इस नए प्रकार के वायरस को (नोवल) कोरोना वायरस (COVID-19) कहा गया। आखिरकार 26 जनवरी 2020 को चीन ने आधिकारिक तौर पर इस बीमारी की घोषणा की। इस दौरान शहर में कई हजार लोग मारे जा चुके थे और इससे भी ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके थे। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया की यह एक नए प्रकार का (नोवल) कोरोना वायरस है और इसे कोविड-19 कहा गया। इसके बाद 23 जनवरी को चीनी सरकार ने वुहान शहर को क्वारंटाइन कर दिया ताकि इसे चीन के अन्य राज्यों में फैलने से रोका जा सके। लेकिन उसने विश्व के अन्य देशों के साथ अपना व्यापार जारी रखा यह जानते हुए भी की अन्य देशों में यह महामारी फैल सकती है। वुहान शहर चीन का एक बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र है, जिसका दुनिया के लगभग सभी पूंजीवादी-साम्राज्यवादी देशों से घनिष्ठ संबंध है। वहाँ सस्ती दर में मजदूरों से काम लिया जाता है। भारत सहित दुनिया के कई देशों के साथ उसका एक व्यापारिक संबंध है। इस वायरस के फैलने व इसके खतरे के बारे में जानते हुए भी उन तमाम देशों ने मुनाफा कमाने की चाह में बदस्तूर अपना व्यापार उसके साथ जारी रखा। देखते ही देखते इस वायरस ने यूरोप के कई देशों को अपने चपेट में ले लिया। इटली, स्पेन, जर्मनी जैसे समृद्धि देशों में इसका व्यापक असर दिखाई दिया। अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी इस वायरस के प्रकोप से नहीं बच पाया।

गौर करने वाली बात है कि समाजवादी देश जैसे क्यूबा

और उत्तर कोरिया इस कोरोना महामारी से प्रभावकारी ढंग से बचाव करने में सक्षम रहे। यहाँ तक कि क्यूबा ने अपने डॉक्टरों को अन्य देशों में भेजा ताकि वह इस महामारी से लड़ने में उनकी मदद कर सके। इस सब ने एक बार फिर समाजवादी देशों की क्षमता को साबित किया है। एक मजदूर वर्ग की राजसत्ता होने के कारण उसने अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सभी के लिए मुफ्त व सुलभ बनाया। उनके पास सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल है, प्रशिक्षित व जनता के लिए समर्पित चिकित्सक, नर्सेस व स्वास्थ्यकर्मी हैं। इसके विपरीत इन देशों से कई गुना अधिक विकसित, समृद्ध व ताकतवर पूंजीवादी देश इस वायरस के आगे धराशाई हो गए।

भारत में सर्वप्रथम 30 जनवरी 2020 को केरल में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया और 6 मार्च तक भारत में इस वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 31 पहुँच गई। इन सबके बीच इस वायरस के फैलाव के खतरे से बेपरवाह भारत सरकार सी.ए.ए./एन.आर.सी. जैसे काले कानूनों को लागू करने की कोशिश में लगी रही व उसके प्रतिरोध में उठने वाले आंदोलनों को रोकने के काम में सक्रिय रही। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की भरपूर कोशिश में लगी रहती है। इतना ही नहीं सरकार सी.ए.ए. /एन.आर.सी. के खिलाफ बढ़ते आंदोलनों को खत्म करने के इरादे से दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने का काम भी करती है। जिसके चलते कई लोग मारे जाते हैं व बड़ी मात्रा में संपत्ति का नुकसान होता है। 24 फरवरी को अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के लिए 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम आयोजित किया जाता है व उस कार्यक्रम में लाखो लोगों का समावेश होता है। इन सब के बाद 13 मार्च को भारत सरकार का बयान आता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, भारत सुरक्षित है और हम हर तरह से सतर्क हैं। उस समय तक भी अंतरर्राष्ट्रीय विमानों के भारत आगमन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था और न ही विदेशी यात्रियों को जाँचने का कोई प्रबंध किया गया था। भारत में इसका प्रकोप बढ़ते दिखाई देने पर भी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार अपना शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करती है। यह सच है कि हम पहले से इस वायरस के प्रभाव को नहीं जानते थे और न ही इसके इलाज के लिए कोई वैक्सीन का आविष्कार हुआ था। पर इसके बावजूद भी अगर हम इन तमाम आयामों पर गौर करें तब हमारे सामने यह सवाल उत्पन्न होता है कि इस वायरस के इतने व्यापक पैमाने पर फैलाव व इस विशाल मृत्युदर के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है विश्वव्यापी साम्राज्यवाद व पूंजीवाद, हमारे देश का पूंजीवाद व इसकी अकूत मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति। पूंजीवाद में मनुष्य के जीवन की कोई कीमत नहीं है, उसके लिए वह केवल एक मानव रूपी कच्चा माल है। जिस तरह फैक्ट्री चलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है और कोयला जलकर राख हो जाता है उसी तरह आदमी की श्रम शक्ति को पूंजीवाद इस्तेमाल करता है, उसका खून निचोड़ता है, और मजदूरों के जीवन को राख बना कर छोड़ देता है। इसी तरीके से पूंजीवादी शोषण काम रहता है व अपना मुनाफा सुनिश्चित करता है। आज इस विश्वव्यापी कोरोना के प्रभावों ने यह बात स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया।

कोरोना संक्रमित पहला मरीज मिलने के 47 दिनों के बाद यानी 22 मार्च 2020 को केंद्र सरकार सर्वप्रथम 14 घंटो के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान करती है और साथ ही प्रधानमंत्री जी देश की जनता को संबोधित करते हुए यह अपील करते हैं कि इस महामारी से बचाव में लगे डॉक्टरों, नर्सेस व स्वास्थ्यकर्मीयों के सम्मान में अपने घरों के छतों, बालकनी या बाहर खड़े होकर पाँच मिनट के लिए थाली, ताली या घंटी बजायें। कई भाजपा नेताओं ने मोदी के इस अपील की सराहना करते हुए यहाँ तक कहा की इस तरह से ध्वनि उत्पन्न करने से कोरोना भाग जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि अति उत्साह में आकर देश की एक बड़ी आबादी जिसमें सरकारी अफसर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस उप-निर्देशक व भाजपा नेता भी शामिल है, कोरोना के खतरे की परवाह किए बगैर व सामाजिक दूरी के नियमो की धज्जियाँ उड़ाते हुए कई जगहों पर भीड़ की शक्ल में सड़को पर आ गए। कुछ जगह तो बीजेपी नेताओं द्वारा मशाल रैली आयोजित की गई व उसमे "गो कोरोना गो" जैसे अंधविश्वासपूर्ण नारे भी लगाए गए। इस सब के बीच सरकार लगातार अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, गैर वैज्ञानिक सोच व अपने सांप्रदायिक एजेंडे को स्थापित करने का काम करती रही। यह इस बात से और भी साबित होता है

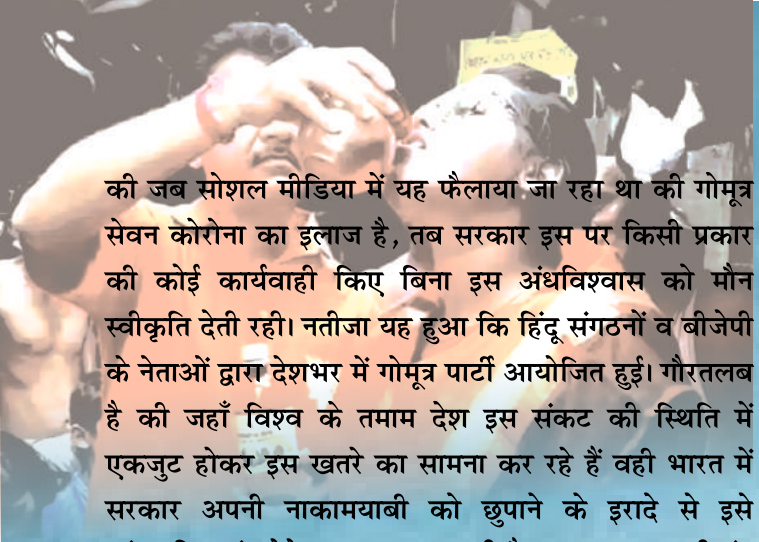

की जब सोशल मीडिया में यह फैलाया जा रहा था की गोमूत्र सेवन कोरोना का इलाज है, तब सरकार इस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किए बिना इस अंधविश्वास को मौन स्वीकृति देती रही। नतीजा यह हुआ कि हिंदू संगठनों व बीजेपी के नेताओं द्वारा देशभर में गोमूत्र पार्टी आयोजित हुई। गौरतलब है की जहाँ विश्व के तमाम देश इस संकट की स्थिति में एकजुट होकर इस खतरे का सामना कर रहे हैं वही भारत में सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के इरादे से इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रही है। लगातार सरकारी तंत्र व गोदी मीडिया द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है की इस वायरस के भारत में फैलने का प्रमुख कारण तबलीगी जमात है और ऐसा करते हुए लोगों के अंदर एक संप्रदाय विशेष के प्रति जहर घोलने का काम कर रही है। एक ओर तो सरकार धर्म के नाम पर लोगों को बाँटने का काम कर रही है वहीं दूसरी ओर एकता दिखाने का झूठा ढकोसला करते हुए सरकार जनता से अपील करती है की 5 अप्रैल को अपने घरों में अंधकार कर टॉर्च, मशाल, दिये आदि जलाएं। इसे दोमूँहापन नहीं तो क्या कहेंगे!

कोविड-19 से बचाव व इसके फैलाव के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जनता से कुछ नियमो को सख्ती से पालन करने को कहा गया जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखें, नियमित रूप से साबुन से अपने हाथों को धोएँ, मास्क का इस्तमाल करें, भीड़ वाली जगहों से बचें आदि। आम जनता ने भरसक कोशिश की कि वे इन हिदायतों का पालन करे। वहीं सरकार द्वारा इसके रोकथाम के प्रयासों पर नजर डाले तो हम पाते हैं की 30 मार्च तक भारत में कोरोना संक्रमण के 1326 मामले सामने आ गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 30 जनवरी को इसे वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका था इसके बावजूद भी सरकार ने पी.पी.ई. किट बनाने के लिए जरूरी सामग्री के निर्यात पर 19 मार्च तक व वेंटिलेटर के निर्यात पर 24 मार्च तक किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। बल्कि इसमें और ढील दी गई जिसके चलते भारत में इस आपात स्थिति में जरूरी सामानों की भारी कमी हो गई। जहाँ कोविड-19 के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा था वहीं इसके बचाव में लगे डॉक्टरों, नर्सों व स्वास्थ्यकर्मियों के लिए आवश्यक पीपीई किट व एन-95 मास्क तक सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में मुहैया नहीं करा सकी। जे.एन.एम.सी के रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बताते हैं कि वे लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिख कर कह रहे थे कि हमें पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट उपलब्ध कराए जाएं। कोरोना से लड़ने के लिए अगर सरकार अपने योद्धाओं को हथियार (पी.पी.ई. किट) ही नहीं मुहैया कराएगी तो वह कोरोना से लड़ाई कैसे जीतेंगे? अंततः सरकार ने पी.पी.ई. किट व एन-95 मास्क की पूर्ति के लिए दूसरे देशों को ऑर्डर दिए। इस अभाव का नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी इस वायरस की चपेट में आए। 6 मई तक 548 डॉक्टर, नर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी इससे संक्रमित हो गए थे व कुछ की मौत भी हो चुकी थी। कोरोना के जाँच के मामले में भी बात करें तो भारत अभी बहुत पीछे है। जहाँ विश्व के कई देशों ने (जिसमें कई छोटे देश भी शामिल हैं) तमाम निजी अस्पतालों को राष्ट्रीयकृत कर दिया ताकि बड़ी संख्या में लोग कोरोना का मुफ्त जाँच करा सके वहीं भारत ने इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जिसके चलते लोगों को जाँच के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। भारत की 130 करोड़ आबादी की तुलना में कोरोना टेस्ट की संख्या बहुत कम है। 6 मार्च तक भारत ने 3404 टेस्ट किए थे, वहीं 30 मार्च तक 38,442 टेस्ट ही किए गए। यानी 24 दिनों में भारत एक लाख टेस्ट भी नहीं कर सका। इतना कम टेस्ट दुनिया का कोई भी विकासशील देश नहीं कर रहा। 24 मार्च को भारतीय चिकित्सा शोध परिषद् (आई.सी.एम.आर.) के प्रमुख बलराम भार्गव ने कहा था कि भारत एक दिन में 12,000 से 15,000 सैंपल टेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर भारत हर रोज 1500 टेस्ट भी क्यों नहीं कर पा रहा? इन सब बिंदुओं पर अगर गौर करें तो सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया व लापरवाही ही उजागर होती है जिसके चलते आज भारत में कोरोना वायरस एक सामुदायिक संक्रमण का रूप धारण करती जा रही है।

कोरोना के खतरे को कम करने व इसकी कड़ी को तोड़ने के लिए विश्व के तमाम देशों ने लॉकडाउन का सहारा लिया। भारत में भी 24 मार्च को रात 8:00 बजे प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा की जाती है कि 25 मार्च मध्यरात्रि से यानी घोषणा के केवल 4 घंटे बाद से भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। हमारा मानना है कि यह घोषणा अगर 5 दिन पहले

यानी 19 मार्च को की जाती तो लोगों को पूर्व तैयारी का मौका मिलता। लेकिन इस अचानक लॉकडाउन ने लोगों को भारी मुसीबत में डाल दिया। कहा गया की इस लॉक डाउन के तहत तमाम यातायात के साधन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, मॉल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट, छोटे बड़े तमाम व्यावसायिक संस्थान व औद्योगिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। पूरे देश में कर्फ्यू जैसा माहौल बन गया व पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दे दी गई कि जो भी इंसान सड़क पर दिखाई दे उस पर लाठी बरसा सके। कुछ ही दिनों में इस लॉकडाउन का अनचाहा असर दिखाई देने लगा। देश के हर राज्य में बड़ी संख्या मे मौजूद प्रवासी मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी कर अपना जीवन निर्वाह करते है काम न मिलने के चलते उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। दो वक्त का खाना जुटा पाना भी मुश्किल हो गया, वहीं दूसरी ओर यातायात के साधन बंद होने के कारण वे वापस अपने गाँव भी नहीं जा सकते थे। मजबूरन हजारों मजदूर जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं व विकलांग शामिल है अपने छोटे-छोटे बच्चों को गोद में लिये व अपना सामान कंधों पर लादे भूखे-प्यासे हजारो किलोमीटर पैदल की यात्रा पर निकल पड़े। नतीजतन कईयों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जो मजदूर वहीं रुक गए उन्हें भी सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता न मिलने की वजह से उनका जीना भी कष्टसाध्य हो गया। वहीं देशभर में हजारों छात्र भी अपनी-अपनी जगहों पर फँस कर रह गए तथा हर तरह की कठिनाइयों का सामना करने को मजबूर हो गए। लोगों के हृदयविदारक व कष्टसाध्य स्थिति से पूरी तरह अवगत होने पर भी सत्तारूढ़ शासक घोंघे की गति से काम कर रही है और बिना अहम जरूरतों को दुरुस्त किए केवल लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी करती जा रही है। जिसके चलते जहां एक ओर पूरे देश में लोग जीवन के प्रत्येक पहलू में एक मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोक पाने में कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है।

जब सारा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार एक सिरे से लगातार एक के बाद एक जनविरोधी नीतियाँ लागू करती जा रही है। जब अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब तक के अपने न्यूनतम स्तर पर है तब सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में व परिवहन शुल्क में वृद्धि कर रही है। जब छँटनी और बेरोजगारी से पहले से ही सारा देश जूझ रहा है ऐसे में सरकार ने नई भर्तीयों पर पूर्णतः रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। मजदूरों द्वारा खून पसीना देखकर हासिल किया गया 8 घंटे काम के अधिकार को भी सरकार ने अब बदल कर 12 घंटे कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की डी.ए. में की जाने वाली वृद्धि को जुलाई 2021 तक के लिये रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राज्य सरकारों ने 3 साल तक के लिए तमाम श्रम अधिकार कानूनों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है।

यह भी अत्यंत खेदजनक है कि केंद्र सरकार ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करने में व्यस्त है। और तो और सरकार ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों के पुनः लेखन का काम विवादित नई शिक्षा नीति के आधार पर शुरू कर दिया है। जब तमाम शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों, छात्रों और कई छात्र संगठनों द्वारा लगातार एन.ई.पी. के खिलाफ आवाज उठाई गई और सरकार से यह मांग की गई कि एन.ई.पी. के निर्माण की प्रक्रिया को जनवादी बनाते हुए व्यापक रूप से सभी की राय ले, तब भी सरकार जो कि छात्रों के भविष्य को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है, ने इस अत्यंत निन्दनीय नीति को हम पर थोप दिया। इसी नीति के अंग के रूप में सरकार इस कोरोना महामारी की आड़ में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को लाने का प्रयास कर रही है। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से न ही छात्रों को कुछ समझने में सहूलियत होगी और न ही शिक्षक समग्र रूप से पढ़ा सकेंगे। साथ ही यह भेदभावपूर्ण भी है। इसके अलावा सरकार ने इस लॉक डाउन का बहाना बनाकर रिसर्च स्कॉलरों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को भी खत्म कर दिया जिसके कारण उनका काम बाधित हो रहा है।

देशव्यापी संकट के इस दौर में भी मोदी सरकार केवल पूजीपतियों के हित साधने में ही लगी हुई है। एक तरफ तो कोविड-19 से लड़ने के लिए पर्याप्त धन का अभाव बताकर केंद्र सरकार विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से 6 बिलियन डॉलर का ऋण ले रही है वहीं उस धन का इस्तेमाल कर पूंजीपतियों के 68,607 करोड़ रुपए की कर्ज माफी कर रही है। इस घोर आर्थिक संकट की स्थिति में भी सरकार पाँच सितारा सुविधाओं से लैस नई संसद भवन और सेंट्रल विस्ता के निर्माण हेतु 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित कर रही है।

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए सर्व सुविधाओं व अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस हवाई जहाज की खरीद के लिए 8458 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे के समय अहमदाबाद में केवल 3 घंटों के कार्यक्रम व उनके स्वागत के लिए सरकार ने 80 करोड़ खर्च कर दिए। देश में चिकित्सक, नर्स व स्वास्थ्य कर्मी उपयुक्त बचाव उपक्रमण के अभाव में अपनी जिंदगी जोखिम में डाल काम करने को बाध्य हैं लेकिन सरकार इन जरूरतों पर खर्च करने के बजाय 700 करोड़ रुपए खर्च कर उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम कर रही है।

देश इस बात का भी गवाह बना, जहाँ हमने देखा कि किस प्रकार अत्यंत पीड़ादायक स्थिति का सामना करते हुए खाली पेट, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लाखों प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल अपने घरों तक पहुंचने के लिए विवश हुए। जब यह स्थिति मीडिया के माध्यम से उजागर हुई तब सरकार की नींद खुली और सरकार ने लोकप्रिय स्टंट करते हुए उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। यह भी गौर करने वाली बात है कि जहाँ सरकार विदेशों में फंसे लोगों को देश में लाने के लिए विशेष विमान का प्रबंध कर मुफ्त में उन्हें लाने का काम कर रही है, वहीं इन गरीब श्रमिकों से अव्यवस्था के चलते टिकट के पैसे वसूले जा रहे हैं। साथ ही साथ रूट निर्धारित करने में लापरवाही के चलते होने वाली देरी व उचित भोजन व पानी की व्यवस्था के घोर अभाव के चलते कई मजदूरों की सफर के दौरान ही मौत हो गई। एक वेदनादायक वीडियो भी सामने आया जहाँ एक बच्चा अपनी मृत मां को जिसकी भूख प्यास के चलते मौत हो चुकी थी, को जगाने का प्रयास कर रहा है। यह सब घटना साफ उजागर करती है कि सरकार केवल गरीबों के लिए घड़ियाली आँसू बहा रही है जबकि वास्तव में वह केवल पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रही है। इसी तरह सरकार द्वारा मदद के लिए की गई विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भी केवल एक छलावा मात्र साबित हुई। साथ ही साथ सरकार ने राजस्व कमाने के नाम पर देशभर में शराब की दुकानों को खोलने की खुली छूट दे दी यह जानते हुए भी कि नशाखोरी के चलते किस प्रकार हमारे देश में महिलाओं व बच्चियों पर लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, व देश का युवा वर्ग पंगु होता जा रहा है। इस फैसले का नतीजा यह हुआ कि लोग शराब खरीदने के लिए एहतियात के तमाम नियमों को ताक पर रखकर लंबी-लंबी कतारों में खड़े नजर आए।

अतः आज की इस परिस्थिति में जहाँ संपूर्ण मानव जगत एक अत्यंत कठिन व कष्टसाध्य दौर से गुजर रहा है, हम छात्रों और युवाओं से अपील करते हैं कि वह मेहनतकश लोगों के साथ खड़े हो जिनका जीवन और आजीविका आज पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर आ गया है। आइए, हम अपने फर्ज को याद करते हुए व मानवता के साथ खड़े होने के नारे को बुलंद करते हुए सामाजिक प्रगति के अगवा होने कि अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को पूरा करें। आइए हम खुद को वैज्ञानिक सोच के प्रचार में लगाएँ, जरूरतमंदों के साथ खड़े हों और व्यापक प्रतिरोध की ताकत का निर्माण करें व सरकार को उचित कदम लेने के लिए बाध्य करें।

भविष्य में भुखमरी का खतरा भारत के लिए कोरोना के खतरे से बहुत बड़ा है।

डॉ. तरुण मंडल से साक्षात्कार

(पूर्व सांसद एवं स्वास्थ आंदोलन के जाने-माने नेता)

(यह साक्षात्कार 31 मई 2020 को लिया गया था। हिंदी में उसकी अभिव्यक्ति हम प्रकाशित कर रहे है।)

छात्र संकल्प - दुनिया भर में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति क्या है? मरने वालों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है?

डॉक्टर मंडल- कोरोना महामारी लगातार खतरनाक होती जा रही है और संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या दुनिया के सभी देशों में तेजी से बढ़ रही है। अब तक (31 मई 2020), प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पूरी दुनिया मे कोरोना से संक्रमित 61,56,426 मरीज हैं एवं 3,70,918 की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 1,81,827 लोग कोरोना संक्रमित हैं और 5,185 लोग अपनी जान गवां चुके हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि 210 देशों द्वारा संभव सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने के बावजूद यह संख्या लगातार बढ़ रही है। नोवेल कोरोनावायरस अपने समूह के अन्य वायरसों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से फैल रहा है। संक्रमित होने वाले लोगों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हैं। इस उम्र के लोग अधिकतर पहले से ही डायबिटीज, तनाव, फेफड़ों व किडनी में संक्रमण, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। इस कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जिससे कोरोना संक्रमण तेजी से शरीर में फैलने लगता है एवं मौत का कारण बनता है। इस कारण कोरोना से मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूरोपीय देशों की तुलना में भारत में युवा आबादी अधिक होने से संक्रमित होने और मरने वालों की संख्या का अनुपात सापेक्षतः कम है।

छात्र संकल्प - सरकार ने 1 महीने से ज्यादा समय पहले लॉक डाउन की घोषणा की थी। क्या लॉक डाउन इस महामारी की रोकथाम के लिए पर्याप्त है? यदि नहीं तो कोरोना रोकथाम के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को क्या सही कदम लेने चाहिए?

डॉक्टर मंडल - लॉक डाउन के द्वारा या अवैज्ञानिक तरीकों (जैसे गोमूत्र के प्रयोग, धार्मिक कर्मकांडों,दिए जलाना आदि) से कोरोना को न तो खत्म किया जा सकता और न ही फैलने से रोका जा सकता है। दुनिया भर में यह प्रमाणित हो चुका है कि लॉक डाउन से सिर्फ कोरोना संक्रमण और उसके फैलने की गति को कम किया जा सकता है,उसे खत्म नहीं किया जा सकता। लॉक डाउन की प्रभावशीलता भी तभी है जब इसके साथ बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जाएं, संक्रमण का पता लगाया जाए, कोरोना संक्रमितों को आइसोलेशन में रखते हुए उपचार किया जाए। इससे देश में कोरोना संक्रमण को पीक पर पहुंचने में समय लगेगा व इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। जिससे प्रशासन को देश की स्वास्थ्य संरचनाओं को इस बीमारी से लड़ने लायक बनाने का समय मिल पाएगा। बिना स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित किए व पीपीई, वेंटिलेटर, क्वारंटाइन व आइसोलेशन वार्ड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था किये बिना लॉक डाउन का कोई मतलब नहीं है एवं इसे बढ़ाने से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। विश्व स्तर पर फैलने वाले कोविड-19 की रोकथाम के उपाय बिल्कुल स्पष्ट है। शुरू से ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर कठोरता से प्रतिबंध, देश में विचरने से पहले यात्रियों

के परीक्षण व जांच करना और उपयुक्त समय तक क्वारंटाइन करना, व्यक्ति के साथ उसके परिवार जनों व संपर्क में आए सभी बाहरी व्यक्तियों को जांच कर आवश्यक उपचार करना। यह वो मूल बातें हैं जो राज्य और केंद्र सरकारों को करना चाहिए था लेकिन नहीं की गई और जिसका परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत में पहला कोरोना केस 29 जनवरी 2020 को केरल में मिला था पर देश की सरकार तो उस समय अमेरिकी प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में और मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद-फरोख्त से सरकार पलटने में व्यस्त थी। सारे एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही चलती रही और पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली व अन्य जगहों पर बड़े-बड़े धार्मिक आयोजनों की अनुमति दी जाती रही।

छात्र संकल्प - वियतनाम एक छोटा सा देश है लेकिन वहां कोविड 19 के कारण मरने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। एक दूसरे छोटे से देश क्यूबा ने तो इटली ,जहां हालात बहुत खराब थे वहाँ अपनी मेडिकल टीम भेजी है। चीन ने भी वुहान से बाहर संक्रमण को फैलने से रोक दिया है। लेकिन यूरोप और अमेरिका के तथाकथित विकसित देश इस संकट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसका क्या कारण है?

डॉक्टर मंडल- इन छोटे देशों जैसे वियतनाम,उत्तर कोरिया, सिंगापुर क्यूबा ने भी साधारण वैज्ञानिक तरीकों से इस अति संक्रमित वायरस को फैलने से कैसे रोका? अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही प्राथमिकता से रोक दी गई, बड़े पैमाने पर टेस्ट कर के संक्रमितों का पता लगाया, उन्हें आइसोलेट करके उनका उपचार किया। और इन सब चीजों को नियमित प्रक्रिया में लाया गया। साउथ कोरिया ने लॉक डाउन नही किया लेकिन उनके द्वारा किये गए टेस्ट की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। सिंगापुर ने भी टेस्टिंग का तरीका ही अपनाया है। कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी, हाथ धोना, सेनेटाइजेशन, मास्क पहनना, यहां-वहां नही थूकना, कोहनी के अंदर खाँसना जैसी सावधानियों को इन देशों ने सख्ती से लागू किया।

सामान्य तौर पर क्यूबा अमेरिका सहित सभी देशों के मुकाबले अपने नागरिकों को पिछले कई दशक से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। उसने शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उपायों को लागू किया। क्यूबा के नागरिकों ने अपने डॉक्टर की सलाह को जिस विश्वास के साथ अपनाया वह विश्वास सामान्यतः उन देशों में जहां अधिकांश स्वास्थ्य सेवाए निजी हाथों में चली गई है देखने को नहीं मिलता। अपने दिवंगत नेता फिदेल कास्त्रो के समय से ही क्यूबा ने समाजवादी सोच अपनाते हुए पूरी दुनिया में आपदाओं के समय अपनी मेडिकल टीम वहां भेजी हैं और इस समय भी ना केवल इटली बल्कि कई अन्य देशों में मेडिकल टीम व दवाइयां भेजी हैं। 2008 में इबोला महामारी के समय भी क्यूबा ने प्रभावित देशों में अपने डॉक्टर भेजे थे।

चीन में जब वुहान में पहला केस सामने आया तो उन्होंने वुहान को हुबेई प्रांत एवं बाकी चीन से अलग कर दिया। वुहान को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया। कई नागरिकों व स्वास्थ्य कर्मियों की मौत के बाद जमीनी स्तर पर पेपर वर्क के साथ संक्रमितों की खोज कर, उनके इलाज के जरिए किसी तरह भयानक होती जा रही स्थितियों का सामना करने की कोशिश की। लेकिन एक काम जो उन्होंने नही किया। वुहान विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और अपने व्यापारिक नुकसान को नजरअंदाज न करके चीन तथा अन्य देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को उन्होंने नहीं रोका। जिससे यह जानलेवा बीमारी दुनिया के विभिन्न देशों में फैल गई। कभी समाजवादी रहा चीन आज पूरी तरह पूंजीवादी-साम्राज्यवादी हो चुका है । इसीलिए उसने व उससे व्यापारिक संबंध रखने वाले अन्य देशों ने इस घातक बीमारी के फैलने के बारे में दुनिया को बहुत देर से बताया। अन्य पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों की तरह ही लोगों के स्वास्थ्य पर उन्होंने पूंजीपतियों के हितों को ही तरजीह दी।

यूरोपिए देशों और अमेरिका ने कोरोना की चुनौती को हल्के में लिया और तथाकथित पहली दुनिया के इन

दोनों महाद्वीपों ने आवश्यक सावधानियां अपनाने में बहुत देर की। अन्य देशों के मुकाबले यहां बुजुर्ग लोगों की अधिक आबादी ने मौत के आंकड़ों को कई गुना बड़ा दिया। तीसरी बात है अमेरिका,इटली व अन्य यूरोपीय देशों में फ्लू के मौसम में फ्लू के कारण औसतन 40 - 50 हजार लोग हर साल मर जाते हैं। यह सम्भव है कि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या में फ्लू से हुई मौतें भी शामिल है। चौथी महत्वपूर्ण बात है की इन देशों की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह निजी हाथों में है। (यूके को छोड़कर) अमेरिका में और मुख्यत: न्यूयार्क में यह सामने आया कि मरने वालों में अधिकतर गरीब असंगठित मजदूर वर्ग के लोग हैं। बेहद निम्न आमदनी के चलते कुपोषण के शिकार ये लोग कोरोना के शिकार बन रहे हैं। वही इन देशों की सरकार अपनी बेहद खराब स्वास्थ्य सेवाओं की ओर ध्यान ना देकर अपने घड़ियाली आंसुओं से जनता को धोखा दे रहे हैं। ब्रिटेन से मिल रही रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर्स को खुद ही पीपीई किट खरीदना पड़ रहा है और उनके राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी एक ही पीपीई किट को बार-बार इस्तेमाल किया जा रहा है।

छात्र संकल्प - क्या आपको लगता है कि हमारी स्वास्थ्य संरचनाएं इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं?

डॉक्टर मंडल- बिल्कुल नहीं, देश की जरूरतों से अभी हम बहुत पीछे हैं। कई अलग-अलग कारणों से अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहां संक्रमित और मरने वालों के अनुपात में कमी हो सकती है लेकिन संक्रमण का पता लगाने के लिए टेस्ट करने में हम अन्य देशों से बहुत पीछे हैं। इसलिए संक्रमण की वास्तविक स्थिति अभी तक उजागर नहीं हुई। कोई नहीं जानता कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। सरकारी दावों के विपरीत विभिन्न राज्यों व इलाकों में निसंदेह बड़े-बड़े समूहों में संक्रमण फैला है। इसीलिए आज हम जो देख रहे हैं वह इस विराट समस्या का छोटा सा हिस्सा भर है और इसके खतरे की चरम स्थिति आगे देश में देखने को मिल सकती है। इसीलिए पीपीई किट, वेंटिलेटर,ऑक्सीजन सप्लाई, ITC बेड्स, और प्रशिक्षित मानव शक्ति आज हमारी तैयारियों का हिस्सा होना चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा व बचाव कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है और भारत को इस आने वाली विपत्ति से निपटने के लिए तैयार करना होगा।

छात्र संकल्प - इन परिस्थितियों से उबरने के बाद भी समाज में लोगों की मनोवैज्ञानिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी, इससे उबरने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

डॉक्टर मंडल- सही है, इस संकट से उबरने के बाद भी शोक संतप्त परिवारों और आम तौर पर पूरे समाज पर इस संकट का मनोवैज्ञानिक तौर पर गहरा असर पड़ेगा। जो फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दुनिया के कई विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना कम प्रभावशीलता के साथ हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा। पहले कि कई घातक बीमारियों की तरह ही कोरोना का खतरा भी हमारे लिए अभी कुछ समय तक तो बना रहेगा। जो परिवार इस बीमारी से सीधे प्रभावित हैं और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनमें से कई लोगों को लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जरूरत होगी। लेकिन कोरोना से भी बड़ा मनोवैज्ञानिक तनाव आर्थिक कारणों की वजह से पैदा होगा। आने वाले एक-दो वर्षों में आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भुखमरी, छंटनी व इससे जुड़ी अन्य समस्याएं भयानक रूप में हमारे सामने आएंगी। इन समस्याओं से निपटना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और उनकी भूमिका भविष्य की परिस्थितियों का निर्धारण करेगी। यदि देश की सचेत जनता ने राज्य व केंद्र सरकारों को आपस में मिलकर इस अकाल जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं किया तो भूख से मरने बालों की सँख्या कोरोना से मरने वालों की तुलना में कई गुना होंगी। इसीलिए जीवन की भौतिक जरूरतों का सवाल, मनोवैज्ञानिक सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए हम आने वाले समय का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करें।।

कोविड-19 संकट के दौरान एआईडीएसओ द्वारा "स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी" के आह्वान पर देशभर के लाखों छात्रों ने ऑनलाइन अभियान में हिस्सा लिया।

इस समय पूरी दुनिया वैश्विक कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। अभूतपूर्व इस कोविड-19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई देशों ने कुछ खास नाजुक क्षेत्रों में व कुछ

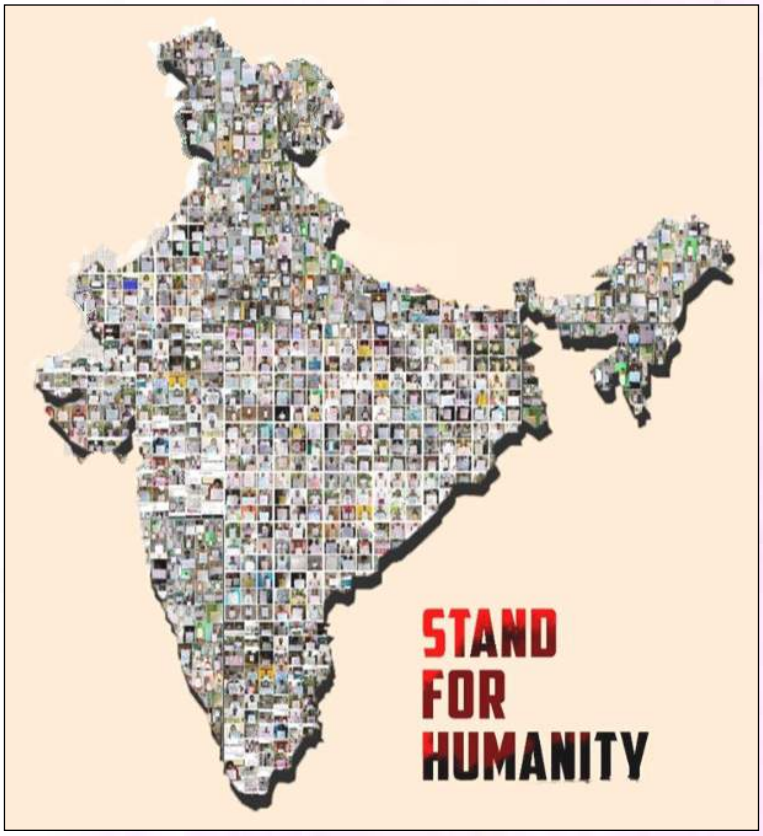

ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है। जैसा कि भारत में 90 दिन से ज्यादा की पूर्ण तालाबंदी की गई है। देश की जनता खासकर प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचे बिना, उनको उनके बेबस हाल में, हजारों किलोमीटर घर से दूर, नौकरी विहीन छोड़ दिया गया। उनके रहने खाने और इलाज का उचित प्रबंध नहीं किया गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि जैसे ही तालाबंदी की घोषणा हुई, भविष्य की चिंता में आवास, भोजन व नौकरी विहीन लाखों मजदूर को अपने घरों व गांव की तरफ जाने के लिए दर-दर की ठोकरे और पुलिस के डंडे खाने पड़े। देश कोरोना से लड़ रहा है और मजदूरों को सुरक्षित अपने घर पहुंचने के लिए भूख-प्यास, पुलिस प्रशासन से और मौत से लड़ना पड़ रहा है। जिसके कारण हजारों- सैकड़ों मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। भयानक तालाबंदी से उपजी समस्याओं का सामना कर रहे करोड़ों लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए उचित व कारगर प्रयास नहीं किए गए। जहाँ सरकार को, अपने जीवन को खतरे में डालकर संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टरों व नर्सों के लिए पर्याप्त मात्रा में पी पी ई किट का प्रावधान कराना चाहिए था, यह ना करा कर भाजपा नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने, कोरोना वायरस के लड़ाकों का हौसला अफजाई और उनके साथ एकजुटता जाहिर करने के बहाने से लोगों से ताली-थाली बजाने और मोमबत्तियां जलाने का आह्वान करके अंध भक्ति को बढ़ावा दिया। पिछले कुछ हफ्तों में दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों की भोजन की तलाश में भुखमरी से मौतें कई गुना बढ़ गई हैं। एक माता ने अपने बच्चे को भोजन का निवाला न दे पाने की वजह से अपने पांच बच्चों को नदी में फेंक कर आत्महत्या करने की कोशिश की। एक आदमी अपने पत्नी व बच्चों को भोजन ना उपलब्ध करा पाने की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। एक 13 साल की लड़की, जिसकी भूखे पेट सैकड़ों कोस पैदल चलने से थकान व भूख से अपने घर पहुंचने से एक घंटा पहले ही मौत हो गई। केंद्र सरकार ने अपनी प्रेस वार्ता में इस तरह की लोगों

की समस्याओं और उनके समाधान का कोई जिक्र तक नहीं किया। दूसरी तरफ, हजारों मेडिकल पेशेवर जो अपनी जान को खतरे में डालकर वायरस या बीमारी से लड़ रहे हैं व जरूरतमंदों की मदद करने के लिए निजी सुरक्षा उपकरण (पी पी ई किट) व दवाओं की मांग कर रहे हैं। जिनको चुप कराने के लिए डराया व नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले वर्कर जैसे आशा कर्मियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के क्वॉरेंटाइन क्षेत्र में घूमना पड़ रहा है। धन की कमी का हवाला देकर, उनको न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित किया जा रहा है। फिर भी वह पूरे देश में निस्वार्थ भाव से कार्य जारी रखे हुए हैं। हमारा संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसआ) पूरे देश में जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री, भोजन व अन्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए सक्रिय

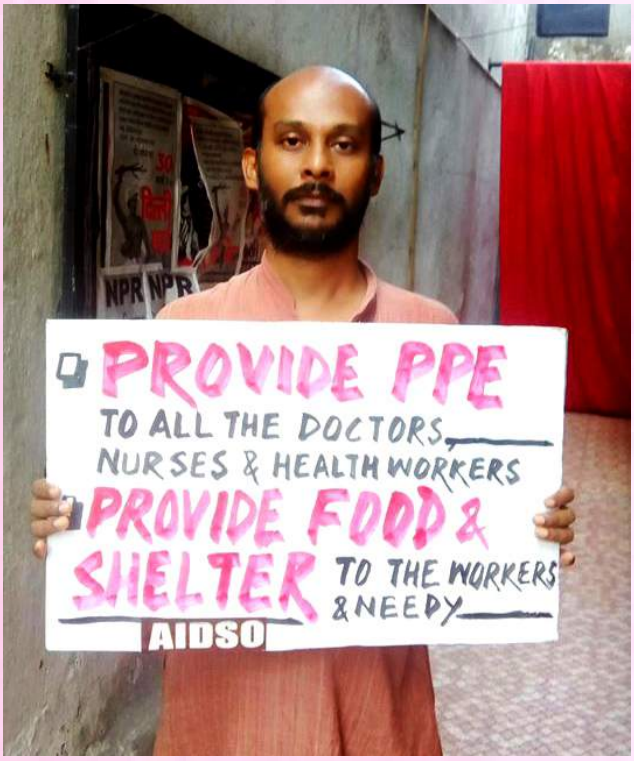

सौरव घोष, महासचिव, ए आई डी एस ओ

भूमिका निभा रहा है। कई राज्यों में एआईडीएसओ के कार्यकर्ता अभी भी सक्रिय रूप से राहत कार्य में लगे हुए है।

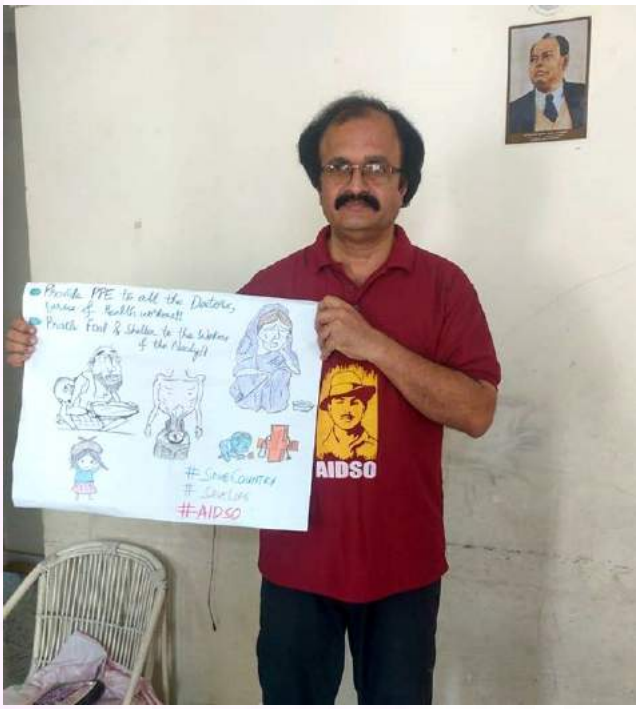

वी. एन. राजशेखर, अध्यक्ष, ए आई डी एस ओ

इस परिस्थिति में एआईडीएसओ की अखिल भारतीय कमेटी ने 22 अप्रैल को पूरे देश में ऑनलाइन अभियान चलाने का आह्वान किया था। मांगे थी।

1. 'सभी डॉक्टरों नर्सों व समस्त कर्मचारियों को पी पी ई किट उपलब्ध कराई जाए।'

2. 'गरीब और जरूरतमंदों को भोजन व आवास उपलब्ध कराया जाए।'

"स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी" आह्वान को छात्रों व आम लोगों का शानदार समर्थन मिला। यह एक ऐतिहासिक आंदोलन था। कोरोना बीमारी के फैलने की शुरुआत से ही केंद्रीय सरकार ने सामाजिक दूरी बनाए रखने का नारा दिया था। लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया कि लोगों के दिल में कोई सामाजिक दूरी नहीं है। है तो केवल शारीरिक दूरी। उत्तराखंड से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक देश के 25 से अधिक राज्यों के लाखों छात्रों ने इस आंदोलन में एकजुटता दिखाते हुए इस अभियान में भाग लिया। कई छात्र जो किसान और मजदूर परिवारों से हैं, जो

खुद भुखमरी के शिकार हैं, वे भी अन्य जरूरतमंदों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पोस्टर लेकर खड़े हुए। उनके माता-पिता ने भी इस आंदोलन को पूर्ण रुप से समर्थन करते हुए एकजुटता दिखाई। कई राज्यों में छात्र केवल सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप और फेसबुक पर पोस्टर देखकर ही अभियान में शामिल हुए। इस प्रचार अभियान का प्रभाव सारे छात्रों व जनता के अंदर इस तरह पढ़ा था कि मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों में कई बीजेपी के समर्थकों ने हमारे कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या वे भी मांगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए खड़े हो सकते हैं। बंगाल में यहां तक कि दूर-दराज के गांव व आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों ने भी बहुत भावनात्मक रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया। सिर्फ यही नहीं अमेरिका, जर्मनी व अन्य देशों के कई शोधार्थियों ने भी इसमें अपना समर्थन दिखाया। प्रोफेसर और डॉक्टर जो प्रसिद्ध संस्थानों और अस्पतालों से जुड़े हैं, वे भी इस आयोजन में शामिल हुए। कोलकाता के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, प्रोफेसर मेनोका बसु रॉय, जो 80 वर्ष पार कर चुकी हैं, ने भी समर्थन में एकजुटता दिखाई। कोलकाता विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने भी एकजुटता दिखाई। एआईडीएसओ के तत्वाधान में कर्नाटक के एक सुप्रसिद्ध अस्पताल से संबंधित डॉक्टर भी पोस्टर लेकर खड़े हुए।

वर्तमान समय कि इस घोर अंधकार क्षण में एआईडीएसओ के द्वारा किए गए इस अभियान एक उम्मीद की किरण की तरह उभर के सामने आई है। आज पूजीपतियों के वर्ग हित में संचालित यह समाज व्यवस्था लोगों को घोर आत्म केंद्रित बना रही है और आम जनता में फूट डाल रही है। पूजीपतियों के सेवादास सरकारें चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में पूंजीपतियों के हित में ही काम कर रही हैं। इस अभियान में मिला जनसमर्थन सरकार की विफलता को दोहराता है। इस अभियान ने समाज व्यवस्था व छात्र समुदाय पर गहरी छाप छोड़ी है। किसी भी देश के छात्र नौजवान ही होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने में सबसे आगे रहते हैं। आज समय की मांग है कि सभी प्रगतिशील सोच रखने वाले लोग जनता में सामाजिक जिम्मेदारी बोध और कर्तव्यनिष्ठा विकसित करने के लिए एकजुट हो और इस निकृष्ट व्यवस्था के खिलाफ लोगों को तथा छात्र समाज को संगठित करने के लिए आगे आए।

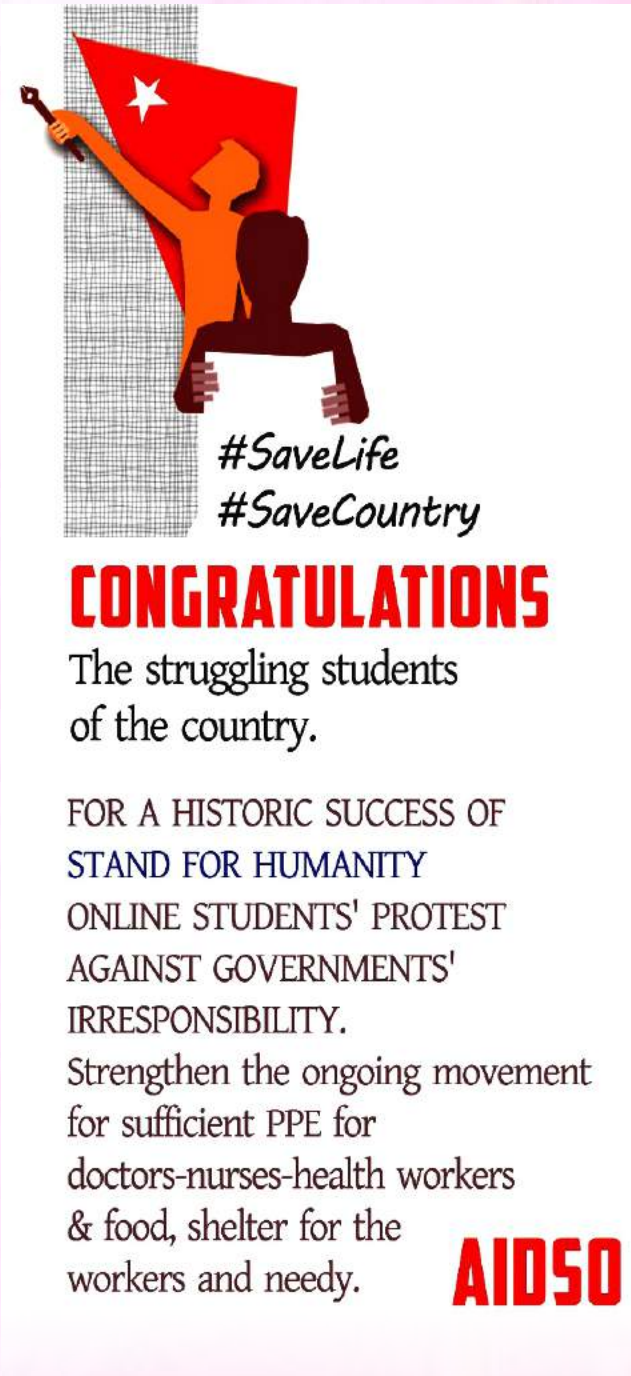

COVID-19 के बीच AIDSO द्वारा किये गए राहत कार्य

हम सभी लॉकडाउन से बनी एक बहुत ही गंभीर स्थिति में अपना समय बिता रहे हैं। कोरोना वायरस के गंभीर संक्रमण ने हमारी सभ्यता की प्राकृतिक गति को रोक दिया है। हर कोई दहशत में है। जीविकापार्जन के सभी प्रकार के काम धंधे पर रोक लग गई है। सामाजिक व आर्थिक स्थिति के खराब होने को लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। मूल रूप से गरीबों की स्थिति दिन-प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सभी ने मदद की एक जबरदस्त अपील की है। लेकिन, अपने आप को सुपर पावर मानने वाली सरकार ने इस लॉकडाउन के शुरू होने के बाद से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाये हैं। लाखों प्रवासी मजदूर घर वापस जाने के रास्ते में मर रहे हैं। भूख से मर रही एक माँ के संघर्ष ने, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने बच्चे को स्तनपान कराने की क्षमता नहीं रखती है, सभ्यता की क्रूरता को उजागर किया है। अब भी वे बेवजह मौत से लड़ रहे हैं। इस तरह के एक महत्वपूर्ण क्षण में, हमने अपने बलबूते पर पूरी कोशिश की है कि देश भर में इस भयंकर स्थिति को ठीक किया जा सके।

AIDSO पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और राहत कार्य में कूद पड़ी। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से, हमारे संगठन के सभी सदस्य, समर्थक धन एकत्र करते रहे। हमने सभी शुभचिंतकों, शिक्षकों, प्रोफेसरों, वकीलों, व्यापारियों से डिजिटल पत्र के माध्यम से गरीबों और सामान्य लोगों के लिए साथ देने की अपील की। हमारे दिल के अंदर छिपी मानवता ने हमें और घनिष्ठ बनाया है। हमारे समाज के विभिन्न जगहों से, हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। लोग, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति और पंथ के हों, हमारा योगदान कर रहे हैं। आम

लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया से हमें हर विकराल स्थिति पर जीत हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। पहले से ही, हमने अपने राज्य के कई जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग के चाय बागानों, उत्तर २४ परगना में जूट मिलों के उन गरीब मजदूरों के बीच परिवार को चलाने के लिए भोजन, किराने का जरुरी सामान वितरित किया। हम जल्द ही कलकत्ता और मिदनापुर की झुग्गी बस्ती और गरीबों की बस्ती में आवश्यक चीजों और भोजन को वितरित करना शुरू कर देंगे। हमारे राज्य के बहुत सारे छात्रों ने समाज की रक्षा के लिए खुद को इस युद्ध में शामिल कर दिया है। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सामान्य छात्रों ने अच्छी भावना के साथ अपने हाथ बढ़ाए हैं। पहले से ही हमने पश्चिम बंगाल में, अपने राहत कार्य को जारी रखने के लिए मानवता के नाम से अक्षम लोगों की भलाई करने के लिए सभी को ष्एक रुपया या एक मुट्ठी चावल देनेष की अपील शुरू दी।

एआईडीएसओ वालंटियर्स ने ओडिशा, कर्नाटक, त्रिपुरा, दिल्ली और असाम का बिभिन्न स्थानों में राहत कार्य किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, एआईडीएसओ के स्वयंसेवकों ने काम करने वाले लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की, जबकि एआईडीएसओ के धमतरी जिले के कार्यकर्ताओं ने फेस मास्क तैयार कर स्थानीय लोगों के बीच वितरित किये।

सीानीय लोगों की मदद से झारखंड के हजारीबाग जिले के नेता और कार्यकर्ता २४ अप्रैल २०२० से जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित कर रहे हैं। इनके अलावा, एआईडीएसओ के वालंटियर्स ने अपने इलाके में विभिन्न भाईचारा संगठनों द्वारा शुरू किए गए राहत कार्यों में शामिल होकर मदद की।

ALL INDIA DSO
SUCI
ALL INDIA DSO

उत्तराखण्ड में राहत कार्य

देश भर में 24 मार्च की रात से अचानक और बिना किसी तैयारी के शुरू हुए लॉकडाऊन की वजह से बड़ी संख्या में छात्र श्रीनगर (उत्तराखण्ड) में फँस गए। ज्ञात हो कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय यहाँ का एक मात्र केंद्रीय विश्विद्यालय है जिसमे दूर-दराज से हजारों छात्र पढ़ायी करने आते हैं। फँसे हुए इन छात्रों की समस्या को देखते हुए ए.आई.डी.एस.ओ. ने फोन के माध्यम से छात्रों की सहायता के लिए गाड़ियों और वाहनो की व्यवस्था की और एस.डी.एम. के माध्यम से अनुमति लेकर कई छात्रों को घर पहुँचने में सहायता की गयी। इस मामलें में विश्वविद्यालय के कुलपति और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया गया जिससे अधिक छात्रों को घर जाने के लिए मदद मिल सके। अभी भी यह राहत कार्य जारी है।

पूरे मई महीने में ए.आई.डी.एस.ओ. के साथीयो द्वारा श्रीनगर शहर के मुख्य स्थानों पर शहर के बच्चों व छात्रों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान किया गया जिसमे नगरपालिका के द्वारा भी सहयोग जैसे दवाई और अन्य तरीके की सामग्री दी गयी और पूरे शहर को सैनीटाइज़ किया गया। शहर के नागरिको की मदद से मास्क और गरीबो को राशन भी वितरित किया गया।

सीएए/एनआरसी प्रदर्शनकारियों की अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियों के खिलाफ ऑनलाइन प्रदर्शन

" सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा..!!"

दिसंबर मध्य में हमारे देश में जो आंदोलन शुरू हुआ उस दौरान छात्रों, महिलाओं व आम जनता ने पूरी दुनिया के सामने आंदोलन की एक मिसाल पेश की। सरकार की गैर जनवादी व विभाजनकारी नीतियों CAA, NRC, NPR के

खिलाफ यह आंदोलन जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने शुरू किया। पुलिस का बर्बर व असहनीय हमला झेल कर भी इस आंदोलन को छात्रों ने जिंदा रखा। 16 दिसम्बर से शाहीन बाग में भी आंदोलन शुरू हुआ जिसमें मुख्य भूमिका महिलाओं व छात्रों ने निभाई। वहां से शुरू हो कर ना केवल दिल्ली के कई इलाकों में बल्कि देश भर में सैंकड़ों 'शाहीन बाग' तैयार हो गए। कड़ाके की सर्दी में भी माताएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को ले कर आंदोलन में बैठी रहीं। एक माँ ने तो अपने 4 महीने के बच्चे को खो दिया और उसके बाद जब वह वापस आंदोलन में आयी तो उन्होंने कहा 'यह आंदोलन मेरे और हम सब के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए है ..CAA हमें धर्म के आधार पर बाँटने का काम करता है और हम इसे स्वीकार नही कर सकते। मैं नही जानती कि इसमें राजनीति हो रही है या नहीं लेकिन मैं जानती हूं कि मेरे बच्चों के भविष्य के विरुद्ध उठाए हर कदम के खिलाफ मुझे सवाल उठाना होगा।" यह सबके लिए एक प्रेरणास्रोत साबित हुआ। इस आंदोलन में ए.आई.डी.एस.ओ. ने सक्रिय भूमिका अदा की। दिल्ली राज्य में जामिया, शाहीन बाग के अलावा ३ और प्रदर्शन स्थल पर ए.आई.डी.एस.ओ. के कार्यकर्ता शामिल रहे और प्रदर्शनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिला कर आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। शासक वर्ग के द्वारा इस आंदोलन को रोकने की भरसक कोशिश के बावजूद केवल नाकामयाबी हाथ लगने पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी माह में हिंसा भड़का कर कई प्रदर्शन स्थलों को खाली करवा दिया गया। कितने ही घर राख में तब्दील हो गए, लूट पाट की गई और जितना नुकसान भौतिक वस्तुओं का हुआ, उससे कहीं ज्यादा नुकसान लोगों के मन का हुआ, कितने ही लोग घायल हुए और कितने ही लोगों ने जान गँवाई। उनकी दशा अत्यंत मार्मिक हो गई। ऐसे एक समय

में ए.आई.डी.एस.ओ. दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कई जगह फ्री मेडिकल कैंप लगाए और हिंसा प्रभावित लोगों को मदद पहुँचाने का अथक प्रयास किया। खजूरी खास विस्तार, शिव विहार व करदमपुरी इलाके में मजदूर संगठन ए.आई.यू.टी.यू.सी. व डॉक्टरों के संगठन मेडिकल सर्विस सेन्टर के साथ मिल कर यह मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। इसके बाद खजूरी खास विस्तार तथा शिव विहार, जो सबसे ज्यादा

एआईडीएसओ के सदस्य हिंसा प्रभावित इलाकों में बच्चों को पढ़ाते हुए।

प्रभावित क्षेत्रों में से थे, वहाँ छात्रों के लिए फ्री कोचिंग क्लास का आयोजन किया गया ताकि वे छात्र जिनकी परीक्षा नजदीक थी, और पढ़ने के लिए न माहौल बचा था और न किताबें, वे परीक्षा में बैठ सकें। उन्हें न केवल पढ़ाया गया बल्कि ए.आई.डी.एस.ओ. के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ इस तरह घुलमिल कर सम्बन्ध बनाया जिससे कि उनका आत्मविश्वास बना रहे और हिंसा ने उनके मन पर जो प्रतिकूल असर डाला उससे उन्हें राहत मिल सके। विभिन्न प्रकार से यह राहत कार्य लगभग 15 दिन तक जारी रहा जिसे लॉकडाउन के कारण रोकना पड़ा। अभी वो लोग इस सदमे से उभर भी नहीं पाए थे कि कोविड-19 का संकट गहरा गया। उसके चलते वे सभी लोग बेबस हो गए जिनके घरों में राख और कोयले की दीवारों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। वे लोग आज भी पड़ोसियों, रिश्तेदारों के घर में आश्रय लिए हुए हैं। साथ ही जहाँ आंदोलन चल रहा था, उन्हें भी इस आंदोलन पर रोक लगानी पड़ी। 25 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान प्रवासी मजदूरों की जो दयनीय स्थिति है उससे सभी भली-भाँति वाकिफ हैं। देश भर में अस्पतालों और डॉक्टरों को मूलभूत सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके विपरीत ताली-थाली बजवाना, मोमबत्ती-दीए-टॉर्च जलवाना और फूल बरसाने के कार्यक्रम लिए गए, जिनसे न ही डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ की कोई जरूरत पूरी हो सकती थी और न ही कोविड-19 ग्रसित मरीजों का इलाज हो पाना संभव था। ऐसी दयनीय स्थिति में जब सरकार का आमे जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को झोंक देना चाहिए था, वह CAA, NRC, NPR वरोधी आंदोलनकारियों को झूठे आरोप लगा कर गरफ्तार करने में लगी हुई है। सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा, गुल्फिशा, इशरत जहाँ, मीरान हैदर, देवांगाना कलिता जैसे कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ को लॉकडाउन से पहले गिरफ्तार किया गया था जबकि कुछ को लॉकडाउन शुरू होने के बाद किया गया। यह बेहद शर्म की बात है कि गिरफ्तार लोगों में सफूरा जरगर एक गर्भवती महिला है। ऐसी हालत में उन्हें करीब 2 महीनों से ज्यादा हिरासत में रखे जाने के बाद जमानत पर रिहा किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले उन पर नए आरोप लगा कर जेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। इतना ही नही महिला प्रदर्शनकारियों के चरित्र पर सवाल उठाए गए और

एआईडीएसओ, एआईयूटीयूसी और एमएससी द्वारा मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन

उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, जो बाद में गलत

साबित हुए। एक तरफ जहाँ लोगों को भड़काने वाले बयान देने के बावजूद कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, रागिनी तिवारी जैसे कई भाजपा के नेता बिना किसी डर के घूम रहे हैं, मनीष सिरोही जैसे लोग जिनके पास जाँच में हथियार बरामद हुए, उन्हें बेल देकर छोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जनवादी तरीके से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले निहत्थे लोगों को जेल में बंद कर रखा है। इन सभी घटनाओं के खिलाफ ए.आई.डी.एस.ओ. की दिल्ली राज्य कमेटी ने 13 मई 2020 को ए.आई.एम.एस.एस., ए.आई.डी.वाई.ओ. तथा ए.आई.यू.टी.यू.सी. की दिल्ली राज्य कमिटियों के साथ मिल कर ऑनलाइन प्रदर्शन का आयोजन किया तथा सभी CAA, NRC, NPR विरोधी आंदोलनकारियों को रिहा करने, UAPA को वापस लेने तथा महिला प्रदर्शनकारियों के चरित्र हनन करने वाले दोषियों को सजा देने की मांग उठाई। उसी दिन शाम 5 बजे से फेसबुक लाइव द्वारा विरोध सभा का कार्यक्रम लिया गया जिसमें ए.आई.डी.एस.ओ. के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष कॉमरेड दिनेश मोहंत तथा अखिल भारतीय सचिवमंडल सदस्य व दिल्ली राज्य अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बात रखी। वक्ताओं ने आम जनता से अपील की कि सरकार के इस गैर जनवादी रवैए के खिलाफ एकजुट हों तथा आंदोलन को मजबूत करें। 3 जून 2020 को प्रगतिशील छात्र संगठनों के साथ संयुक्त रूप से ऑनलाइन प्रदर्शन तथा ट्विटर स्टॉर्म का कार्यक्रम लिया गया जिसमें ए.आई.डी.एस.ओ. दिल्ली ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सफूरा जरगर को हाँलाकि 23 जून को जमानत पर रिहा कर दिया गया है लेकिन यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सभी CAA, NRC, NPR विरोधी आंदोलनकारियों को रिहा नहीं कर दिया जाता और उन पर लगाए गए झूठे आरोप वापस नहीं लिए जाते।

मानवता के साथ खड़े हुए कलाकार

कोरोना महामारी ने, पूरी दुनिया में पहले से ही व्याप्त घोर असुरक्षित और अस्त- व्यस्त लचर व्यवस्था में ,लोगों के अंदर एक नई अनिश्चितता और घबराहट पैदा कर दी है ।पूरे देश में लाखों-करोड़ों मेहनतकश लोगों,अप्रवासी मजदूरों ,बच्चो और महिलाओं को सड़कों पर और रेल की पटरीयो पर मरने के लिए छोड़ दिया है। अचानक हुई देशव्यापी तालाबंदी ने उन्हें जिंदगी और मौत से जूझने के लिए छोड़ दिया। वे भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर दूर स्थित अपने -अपने घरों को लौटने के लिए पैदल ही चल दिए । यह बेहद ही पीड़ादायक और रोंगटे खड़े कर देने वाला था क्योंकि उनमें से कई लोग रेलवे लाइन व सड़कों पर भूख और प्यास से दम तोड़ चुके हैं। देश की केंद्र व राज्य सरकारों ने संवेदनहीनता की सारी सीमाएं तोड़ दी।

एक ऐसे घोर संकट के समय में मेहनतकश वर्ग के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एआईडीएसओ ओड़ीसा राज्य कमेटी द्वारा प्रकाशित मुख्य पत्रिका छात्र चेतना द्वारा 13 मई को विख्यात कवि पद्मश्री संचिरात्ररो के जन्म दिवस के अवसर पर एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम #ArtistStandForHumanity (कलाकार मानवता के साथ खड़े हो।) के साथ मनाया गया । सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से पूरे राज्य के विभिन्न कलाकारों ने श्मजदूरों का दर्दश इस विषय पर आधारित गीत, कविताएं, पेंटिंग, एकल नाटक, फोटोग्राफी व वाद्य यंत्र बजाकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके पहले 2 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में विभिन्न छोटी पत्रिकाओं के माध्यम से कलाकारों द्वारा उनकी कविता, लघु कथाएं, पेंटिंग्स, गीतों को #StandForLife #ArtForHumanity के साथ सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया।

इसी तरह 10 मई 2020 को एआईडीएसओ झारखंड राज्य कमिटी के आह्वान पर सोशल मीडिया पर विभिन्न कलाकारों द्वारा उनकी कविता, लघु कथाएं ,गीतों को #StandForLife #ArtForHumanity के साथ पोस्ट की गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या और उत्साह को देखते हुए निर्धारित समय 12 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे किया गया। छः हजार से ज्यादा कलाकारों, जिसमें बहुत से जाने-माने कलाकार भी थे, ने बढ़-चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम को सराहा गया और इस तरह यह एक सफल कार्यक्रम साबित हुआ।

Artist stands for
Humanity.
I am for Civilization

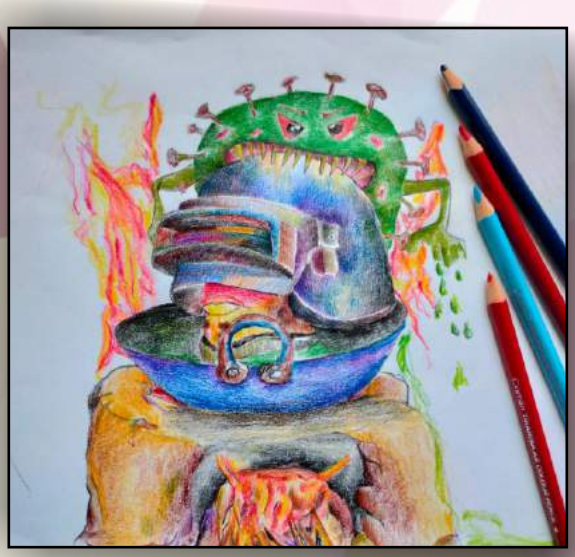

LOCKDOWN

FOOD PLEASE!
NOT FLOWERS!
By - Supriya

COVID-19
VIRUS
NURSE
ARMY
STAY HOME STAY SAFE

घर में रहें, सुरक्षित रहें।

बेरोजगारी
भुखमरी
कोरोना

NO ENTRY

Art by :- Sahdev Mahto

'मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं..!'

25 मई 2020, अमेरिका के मिनेसोटा राज्य की मिनियापोलिस नामक शहर की पुलिस ने 46 वर्षीय एक अश्वेत-अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की गिरफ्तारी के दौरान निदर्यतापूर्वक हत्या कर दी। एक वायरल विडियो में देखा गया कि जॉर्ज को उल्टा लिटाकर एक गोरे पुलिस डेरेक शविन ने अपने घुटने से उसे दबा लिया। जॉर्ज लगातार एक ही बात दोहरा रहा था - (आई काण्ट ब्रीथ) "मैं साँस नहीं ले पा रहा हुँ"। वह बार-बार दर्द से करहाते हुए बोलता रहा लेकिन हत्यारोपी पुलिस ने एक नहीं सुनी। उस पुलिस वाले ने उसे तब तक अपने घुटने के नीचे दबाए रखा जब तक कि उसकी साँसे चलना बन्द नहीं हो गई। अंततः जॉर्ज फ्लॉयड दम घुटने से मर गया।

इस घटना ने देश भर में आन्दोलन की आग को भड़का दिया। अमेरिका के लगभग 40 शहरों में नस्लभेद विरोधी लाखों लाख लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हर दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग हर शहर की सड़कें विरोध प्रदर्शनों से घिरती रही। शासकों ने 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। पूरे देश में सैनिकों को तैनात किया गया। लेकिन लोगों ने कोई परवाह नहीं की। कोरोना महामारी को नजरअंदाज करते हुए लाखों अमेरिकी स्वतःस्फूर्त रूप से इस आंदोलन में शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रम्प ने बेशर्मी से प्रदर्शनकारियों को गुंडे, बदमाश कह कर पुकारा था और अहंकारपूर्वक अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था, 'लूट शुरू होने पर गोली चलना शुरू होगा'। इस धमकी से भी प्रदर्शनकारियों ने हार नहीं मानी। पुलिस और सेना ने लाठीचार्ज करके, आँसू गैस के गोले छोड़ कर, घुड़सवार पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों को घोड़ों के पैरों से रूंधवाकर, मिर्च पाउडर स्प्रे करके, यहाँ तक कि फायरिंग भी करके प्रदर्शनकारियों के प्रवाह को रोक नहीं पाई। सभी बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने 29 मई को व्हाइट हाउस को घेर लिया। पूरी दुनिया जिनकी दहशत से काँपती है, स्वयं उस राष्ट्रपति ट्रम्प को जनता के सामूहिक प्रतिवादी आंदोलन से आतंकित होकर एक भूमिगत बंकर में शरण लेनी पड़ी और बाहर उपस्थित हजारों हजार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ लड़ते हुए नारेबाजी से अपनी आवाज बुलंद की - 'हम साँस नहीं ले पा रहे हैं!', 'जॉर्ज फ्लॉयड के हत्या का हम न्याय चाहते हैं!' आदि।

जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या अमेरिका में अश्वेतों पर एक लंबे शोषण व अत्याचार का एक नया संयोजन है। आज से छह साल पहले एक और अश्वेत व्यक्ति एरिक गार्नर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसकी पुलिस बर्बरता से मौत हो

गई थी। उस समय पुलिस की बर्बरतापूर्ण प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप 'ब्लैक लाईव्ज़ मैटर' यानी 'अश्वेतों का जीवन भी जीवन है' आंदोलन का गठन किया गया था। वर्तमान आंदोलनकारियों ने अतीत की सभी घटनाओं के मद्देनजर 'मैं साँस नहीं ले पा रहा हूँ' आंदोलन को अंजाम दिया। इसलिए, आंदोलन फैलने के लिए स्थिति पहले से ही मौजूद थी।

गहन आर्थिक शोषण से त्रस्त अमेरिकियों के बीच सबसे अधिक दु:खद है अश्वेतों की दुर्दशा। पूरी दुनिया को, लोकतंत्र का पाठ सिखाने का स्वघोषित गुरु, अमेरिकी प्रशासन जातिवाद-नस्लवाद के जहर से भरा है। कभी-कभी बिना किसी कारण या तुच्छ कारण से काले लोगों के खिलाफ श्वेत पुलिस की बर्बरता की घटना मीडिया में आती है। हर साल, कई काले लोग अमेरिकी श्वेत पुलिस के हाथों मारे जाते हैं। कोरोना वायरस के हमले से 23,000 से अधिक अश्वेतों की मृत्यु हुई, जो आनुपातिक दर से बहुत अधिक है। फिर, कोरोना के दौरान उत्पन्न हुई असहनीय परिस्थिति के खिलाफ विरोध करने के कारण काले लोग पुलिस की गिरफ्तारी की सूची में ज्यादा हैं। अमेरिका में पुलिस हमलों में हर दिन 3 से अधिक लोग मारे जाते हैं, जिनमें से अधिकांश ही अश्वेत हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि 2019 में 1,099 लोगों की पुलिस अधिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिनमें अश्वेतों की संख्या ज्यादा थी। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हमें अतीत में पुलिस द्वारा की गई हत्याओं की याद दिलाती है। ट्रेवन मार्टिन (27 फरवरी, 2012), एरिक गार्नर (17 जुलाई, 2014), माइकल ब्राउन (9 अगस्त, 2014), वाल्टर स्कॉट (4 अप्रैल, 2015), फ्रेडी ग्रे (12 अप्रैल, 2015), एटियाना जेफरसन (13 अक्टूबर, 2019), ब्रेवना टेलर (13 मार्च, 2020) आदि पुलिस द्वारा की गई क्रूर हत्या की शिकार हुए थे।

आज अमेरिका की इस परिस्थिति को समझने के लिए हमें अमेरिका के इतिहास को देखना होगा। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के बाद से, अमेरिका में यूरोपीय आक्रमण का एक क्रूर इतिहास लिखा गया है। अमेरिका में रहने वाले मूल निवासियों में से लगभग 90 प्रतिशत लोगों पर या तो रोगाणु हमला किया गया, या हत्या करके मार डाला गया। बाद में, अश्वेतों को अफ्रीका से समूहों में गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया। उनके साथ पिछले गुलाम समाज की तुलना में अधिक क्रूर व्यवहार किया गया। यद्यपि एक लम्बी लड़ाई के बाद अब्राहम लिंकन के द्वारा दासता को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अश्वेतों के प्रति दृष्टिकोण नहीं बदला। इसलिए हम देखते हैं कि दासप्रथा के उन्मूलन के बाद भी, सफेद वर्चस्ववादी अश्वेतों पर नियमित रूप से 'मॉब लिंचिंग' सहित कई तरह के अत्याचार करते थे। यह नस्लवाद सदियों से चला आ रहा है। वर्तमान में अमेरिकी पूंजीपति शासक वर्ग इस नस्लवाद को जीवित रखना चाहता है। एक समय अमेरिका ने 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी' बनाया, जिसका महत्व यही था कि - 'दुनिया के थके हुए मजदूरों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा।' और आज संकटग्रस्त अमेरिका का पूंजीवादी शासक उग्र देशभक्ति और छद्म राष्ट्रवाद की लहर उठाकर मेहनतकश लोगों का ध्यान दूसरी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान शासक ट्रम्प सत्ता में आए ही हैं 'फूट डालो और राज करो' की नीति के आधार पर और मजबूत नस्लवादी व चरमपंथी राष्ट्रवादी नारों के साथ। वह अमेरिकी कॉरपोरेट के हितों में ही ऐसा कर रहे हैं। शासक वर्ग यह भली-भांति जानता हैं कि यदि लोगों को विभाजित नहीं किया गया तो जनता के द्वारा जोरदार विरोध, अमेरिकी पूंजीवाद को दफन कर देगा। इसलिए वे पूंजीवाद को बचाने के लिए ही नस्लवाद तथा जातिवाद को जीवित रखना चाहता है।

आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अमेरिकी शासक जितना अधिक लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रहा है, उतना ही यह जहर बढ़ता जा रहा है। ट्रम्प प्रशासन देश की भयंकर बेरोजगारी की समस्या सहित सभी संकटों का दोष काले, अप्रवासी लोगों पर लगा रहा है जिसके चलते दिन पर दिन, इन लोगों की छाती में विरोध का बारूद जमा हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका रंगभेद विरोधी आंदोलनों में उलझा हुआ है। जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या ने

उस आंदोलन को फिर से हवा दे दी।

वास्तव में, गौर से देखने पर पता चलता है कि यह विरोध केवल शासकों के खिलाफ रंगभेद विरोधी विरोध नहीं है बल्कि इसके पीछे पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पीड़ित, शोषित आम लोगों की असहनीय पीड़ा की जलन है। अमेरिका, साम्राज्यवादी दुनिया का मुखिया, चाहे कितनी भी धन और हथियारों के बल पर दुनिया को कब्जे में लेने की कोशिश करे, पूंजीवादी व्यवस्था के अचूक नियमों से उसका क्षय होना अनिवार्य है। पूंजीपतियों के शोषण से त्रस्त अमेरिकी लोगों का एक बड़ा हिस्सा आज बेहद गरीब है। उनके पास न भोजन है, न आश्रय, न सामान खरीदने की क्षमता। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जैसे बड़े शहरों में, अनगिनत लोग अत्यधिक समस्याओं में रहते हैं। इनका एक बड़ा हिस्सा काला है। हाल ही में कोरोना महामारी ने अमेरिका के अंधेरे पक्ष को उजागर किया है। जहाँ नवउदारवादी अर्थव्यवस्था के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है। जैसा कि देखा जा सकता है, अधिकांश लोगों के पास निजी चिकित्सा उपचार के बड़े खर्च वहन करने की क्षमता नहीं है। अमेरिका ने कोरोना महामारी के शुरू में अपने व्यापार कौशल के कारण कारखाने को बंद नहीं किया। परिणामस्वरूप संक्रमण तेजी से बढ़ा। संपूर्ण निजी स्वास्थ्य क्षेत्र उस समय लोगों को थोड़ी सी भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सका और पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। नतीजतन, कोरोना हमले में लाखों लोग पहले ही बिना इलाज के दम तोड़ चुके हैं। सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। ट्रम्प ने कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन जारी करके अपना हाथ उठा लिया था। इसी बीच, बेरोजगारी ने अमेरिकी युवाओं को भयंकर मुश्किल में डाल दिया। वैश्विक कोविड स्थिति के पहले से ही अमेरिका में नौकरियों की भयानक समस्याा थी। बेरोजगारों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही थी। इस समय अमेरिका में चार करोड़ से अधिक बेरोजगार हैं। कुल मिला कर अमेरिका में आम कामकाजी लोगों का जीवन असहनीय दुख से बर्बाद हो रहा था। क्रोध की जो आग उनकी छाती के भीतर जल रही थी, फ्लॉयड की नृशंस हत्या ने उसी को ज्वाला बना दिया। उनका विरोध वास्तव में इस सड़ी हुई पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है जिसने उनके जीवन को हर तरह से दयनीय बना दिया।

जनता के इस आन्दोलन ने नस्लीय हिंसा करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को मजबूर किया और न्यूयॉर्क टाईम्स की एक खबर के मुताबिक पुलिस विभाग के नैतिक अस्तित्व पर विचार करने को मजबूर किया। इस संघर्ष ने दुनिया भर की शोषित जनता को पूंजीवाद-साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। हम आशा करते हैं कि अमेरिकी जनता का यह वीरतापूर्ण संघर्ष, सिर्फ रंगभेद विरोधी आंदोलन में ही सीमित न रहकर सही लाइन और सही नेतृत्व के आधार पर विकसित होकर शोषणहीन समाज बनाने के लक्ष्य से पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति की राह पर चल पाएगा। भारत के एकमात्र सही क्रांतिकारी छात्र संगठन ए.आई.डी.एस.ओ. की ओर से हम अमेरिकी नस्लभेद विरोधी आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं और संघर्षरत वीर जनता को सलाम करते हैं।

Solidarity with Struggling American People

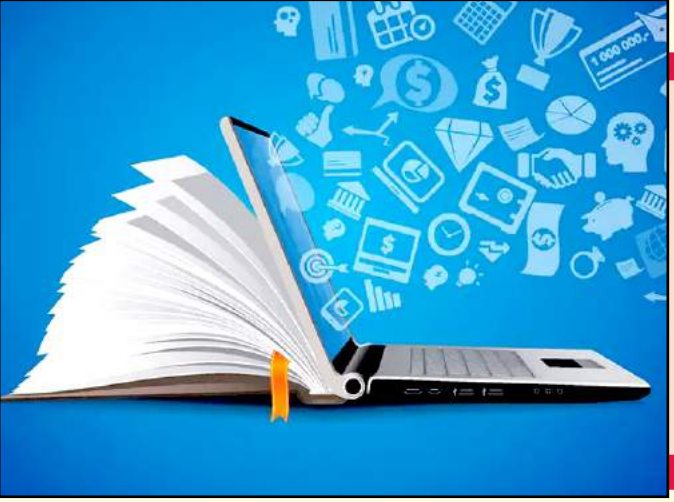

ऑनलाइन शिक्षा: एक समीक्षा

पिछले कई महीनो से न केवल हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया घातक कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है। तकरीबन तीन महीनों से चल रहे लॉकडाउन ने हमारे देश की अर्थवयवस्था को पूरी तरह से तोड़ दिया है और हमारा अकादमिक कैलेंडर भी स्थगित स्थिति में है। सरकार और प्रशासन के पास अनियोजित लॉकडाउन के भयावह प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कोई भी लोकहितकारी समाधान नहीं है। अर्थवयवस्था को फिर से संभालने, लोगों के लिए उचित जीविका सुनिश्चित करने, और अकादमिक कैलेंडर को पटरी पर लाने जैसी चुनौतियाँ सरकार के सामने है। शैक्षणिक सत्र को कब और कैसे शुरू किया जाये? सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कक्षाओं और परीक्षाओं को कैसे आयोजित किये जायें? ये सवाल अकादमिक निकायों को परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न स्कूल बोर्डों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, और शैक्षणिक निकायों की यह प्राथमिकता होनी चाहिए थी कि वो लोकतांत्रिक तरीके से इन सभी विषयों पर चर्चा करते और एक तार्किक आधार पर समाधान सुझाते।

लेकिन, चौंकाने वाली बात है कि एम.एच.आर.डी. और यू.जी.सी. ने सभी विश्वविद्यालयों को एकतरफा दिशा-निर्देश जारी करते हुए, अन्य सुझावों के साथ 'ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाओं' को लागू करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही यह भी सलाह दिया गया है कि भविष्य में सभी विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम का 25% हिस्सा नियमित तौर पर ऑनलाइन पद्धति द्वारा पूरा करने की कोशिश करें (स्रोत: कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के मद्देनजर विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर यू.जी.सी. के दिशा-निर्देश)। वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए, केंद्र और सभी राज्य सरकारें 'ऑनलाइन शिक्षा' और 'ऑनलाइन परीक्षा' को एकमात्र समाधान के तौर पर दिखा रही हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने भी, इस साल मई की शुरुआत में, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को लागू करने के लिए अपना उत्साह व्यक्त किया है। यह बात ध्यान देने की है कि विवादास्पद DNEP-2019 (ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019) में 'ऑनलाइन शिक्षण' के विचार को ठोस रूप दिया जा चुका है। इस पृष्ठभूमि में ऑनलाइन शिक्षा की जरुरत और सम्भावना के बारे में विचार-विमर्श करने की जरुरत है। आइए, हम इन पर विचार करें।

क्या भारत के लिए ऑनलाइन शिक्षा उपयुक्त है?

यूजीसी के हाल के दिशा-निर्देश में यह जिक्र है कि 'देश में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ प्रभावी ढंग से ई-लर्निंग प्रणाली द्वारा शिक्षा देने के लिए जरुरी सूचना प्रौद्योगिकी संरचना (IT Infrastructure) का अभाव है।' इसमें बिजली, इंटरनेट कनेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुपलब्धता और आर्थिक कठिनाईयों का भी उल्लेख किया गया है। इन तथ्यों के बावजूद ये दिशा-निर्देश ऑनलाइन शिक्षा पद्धति की वकालत करता है!

'डिजिटल इंडिया' की तस्वीर क्या है? हमारे देश में मात्र 36% आबादी तक इंटरनेट की पहुँच है और ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 14-9% है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि, हमारी आबादी का 66% हिस्सा गाँवों में रहता है। देश की बड़ी आबादी (75% लोगों) के पास स्मार्टफोन नहीं है; 5 से 24 वर्ष की आयु-वर्ग के सदस्यों वाले केवल 8% घरों में कंप्यूटर व इंटरनेट दोनों ही हैं;

50% गांवों में दिन के आधे वक्त बिजली नहीं रहती है (स्रोत: भारत में शिक्षा पर पारिवारिक सामाजिक उपभोग के मुख्य संकेतक, वर्ष 2017&18 के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सर्वेक्षण और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey) पर आधारित)। यदि हम बिजली की गुणवत्ता और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के मामले को लें, तो व्यावहारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिन के अधिकांश हिस्से में बिजली एक विलासिता की तरह है! डिजिटल तौर पर ऐसी असमानता की स्थिति में 'एक राष्ट्र, एक ऑनलाइन शिक्षा' की घोषणा करना पूर्ण रूप से अमानवीय और जन-विरोधी है। ऐसे देश में जहाँ बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक असमानता की वजह से लाखों लोग प्रौद्योगिकी से वंचित हैं, ऑनलाइन शिक्षा को छात्रों पर थोपना अत्यधिक विभेदकारी और गरीब-विरोधी है।

लॉकडाउन के दौरान यह व्यापक रूप से अनुभव किया गया है कि, संस्थानों की खराब आई.टी. संरचना के कारण, इस तरह ऑनलाइन कक्षाओं तथा पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी छात्रों और शिक्षकों पर छोड़ दी गई। ऑनलाइन शिक्षण को जारी रखने के लिए छात्रों को संसाधन उपलब्ध कराने का श्रेय विशेष रूप से शिक्षकों को जाता है।

भारत के कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों का क्या अनुभव रहा है? हैदराबाद विश्वविद्यालय में इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान किए गए एक सर्वेक्षण में जब छात्रों से पूछा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था किए जाने की स्थिति में क्या वे इसे ले पाने में समर्थ होंगे, तो सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 2500 छात्रों में से, केवल 37% ने 'हाँ' में जवाब दिया, 45% ने कहा कि वे अनियमित रूप से हिस्सा ले पाएंगे और 18% (लगभग 450 छात्र) ने कहा कि वे इसे लेने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं होंगे। ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित होने के सवाल पर छात्रों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं में, 'बेहतर कनेक्टिविटी' (40%) और 'डेटा कनेक्शन की लागत' (30%) महत्वपूर्ण हैं। इसी दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (DUTA) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में, 50000 से अधिक छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनमें से 50% छात्र ऐसे हैं जो इंटरनेट की सीमित पहुँच और अन्य तकनीकी कारणों से शिक्षकों द्वारा दी गई अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल नही कर पाए। इसी सर्वेक्षण के अनुसार केवल २८% छात्र गूगल मीट, जूम और अन्य एप्लिकेशन के माध्यम से ५०% से अधिक ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम रहे हैं।

वी.टी.यू. (विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कर्नाटक के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज इसमें आते है) ने दावा किया कि ऑनलाइन कक्षाओं में 70% छात्र उपस्थिति रहे और 40-45% पाठ्यक्रम पूरा किया गया (लॉकडाउन से पहले, 25-30% पाठ्यक्रम पूरा हुआ था)। राज्यभर से छात्रों ने प्रतिरोध करते हुए कहा की ये दावे सच्चाई से कोसों दूर है। इन दावों को ध्यान में रखते हुए, ए.आई.डी.एस.ओ. और वी.टी.यू. छात्र संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया जिसमे 210 कॉलेजों के 3716 इंजीनियरिंग छात्रों ने अपनी राय दी। परिणाम चौंकाने वाले थे! 77.3% छात्र अधिकांश ऑनलाइन कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहे थे; इसका कारण आर्थिक समस्या, नेटवर्क और बिजली की अनुपलब्धता रही। जिन छात्रों ने ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लिया उनमें से 91.2% छात्रों ने बताया कि वो पढाए गए विषय-वस्तु को ठीक ढंग से समझ नही पाए और 97.1% छात्रों ने बताया की वो ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर होने वाली परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। पढाई में पीछे रह जाने का डर छात्रों में बढ़ता जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा कराने से पहले वी.टी.यू. को पर्याप्त संख्या में क्लासरूम टीचिंग और प्रायोगिक कक्षाएं आयोजित करानी चाहिए। ये कक्षाएं छात्रों के लिए विषय को समझने और परीक्षा की तैयारी करने में सहायक होगी।

जब भारत के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की यह हालत है तो अपेक्षाकृत कम विकसित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, जिससे अधिकांश छात्र सम्बंधित है, में छात्रों को होने वाली समस्याओं को आसानी से समझ जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की स्थिति तो और भी दयनीय होगी।

ऐसी स्थिति में क्लासरूम शिक्षा के स्थान पर किस तरह ऑनलाइन शिक्षा को एक वैकल्पिक शिक्षण विधि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है!

क्या ऑनलाइन शिक्षा, अध्ययन-अध्यापन के उद्देश्य को पूरा कर सकती हैं?

ये सवाल सार्वजनिक और निजी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों

के लिए सामान रूप से महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन व्याख्यान पद्धति में शिक्षकों और छात्रों के बीच कोई सीधा संवाद नहीं होता है। छात्रों-शिक्षकों में आमने-सामने संवाद के अभाव की वजह से छात्रों को समग्र तौर पर विषय-वस्तु को समझने में और शिक्षकों को पढ़ाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कक्षा के अंदर व बाहर छात्र-शिक्षक साहचर्य और सामूहिक गतिविधि, जिसे ज्ञानोपार्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझा गया है, वो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में पूरी तरह गायब है। शिक्षकों ने इस लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण करते समय महसूस किया की वो केवल सूचनाएँ प्रेषित कर पा रहे हैं। विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसे विषयों की पढ़ाई जो प्रयोग कक्षाओं के बिना संभव ही नहीं है, उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण पद्धति कारगर नहीं है।

विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ शिक्षक न केवल छात्रों को ज्ञान देते हैं बल्कि वह एक छात्र के मष्तिष्क को ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। शिक्षक, छात्रों की सोच और संस्कृति का निर्माण करते हैं! इसीलिए कहा जाता है कि 'एक राष्ट्र का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्धारित होता है'। विश्वविद्यालयों को 'सार्वभौमिक शिक्षा का मंदिर' माना जाता है। यह वो स्थान है जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि से आये शिक्षक और छात्र एकत्रित होते हैं और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय ऐसा स्थान है जहाँ शिक्षक और छात्र ज्ञान की खोज और साधना में संलग्न रहते हैं; ज्ञान के विभिन्न शाखाओं के विभिन्न विचारों के आदान-प्रदान से, नए विचारों का आविर्भाव होता है। इसीलिए, एक विद्यालय, कॉलेज या विश्वविद्यालय केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि शैक्षिक माहौल और ज्ञानोपार्जन की संस्कृति को मिलाकर ही एक शैक्षणिक संस्थान का निर्माण होता है। तो, किस प्रकार एक शैक्षणिक संस्थान सीखने-सीखाने और ज्ञानोपर्जन का केंद्र बन सकता है यदि वह मानवीय विचार-विमर्श की अवहेलना करता है? इसलिए, शिक्षाविदों के एक बड़े हिस्से ने माना कि 'ऑनलाइन शिक्षा' को कभी भी सम्पूर्ण शिक्षा का मॉडल नहीं कहा जा सकता। यह ज्यादा से ज्यादा 'एकालाप ऑनलाइन व्याख्यान मॉडल' बन सकता है। ऑनलाइन व्याख्यान, औपचारिक शिक्षा को सहायता तो पहुँचा सकता है, लेकिन यदि औपचारिक कक्षा को इससे विस्थापित कर दिया जाए तो यह विनाशकारी होगा। कई मामलों में शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल एक स्वागत योग्य प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन वहाँ भी यह सवाल उठता है कि क्या यह हरेक छात्र के लिए उपलब्ध है? इसीलिए, ऑनलाइन शिक्षा, अध्ययन-अध्यापन के लक्ष्य को विफल कर देती है।

क्या ऑनलाइन पद्धति के अधार पर छात्रों का सही ढंग से मूल्यांकन करना सम्भव है?

ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन में प्रौद्योगिकी की पहुँच व संस्थानों की खराब आई.टी. संरचना की समस्याओं के अलावा एक मुद्दा यह भी है कि इस प्रक्रिया में कदाचार की सम्भावना भी बढ़ जाती है। आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली में पेन-पेपर आधारित लिखित परीक्षाओं, सेमिनारों, वाद-विवाद, विचार-विमर्श, फील्डवर्क और असाइनमेंट इत्यादि सम्मलित है। ऑनलाइन प्रक्रिया में किस तरह ये मूल्यांकन संभव होगा! क्या यह सब बिना भौतिक उपस्थिति के संभव होगा? नहीं। कोविड -१९ महामारी व लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हाल ही में यू.जी.सी. के दिशा-निर्देश द्वारा ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों और ओपन-बुक प्रणाली को व्यवहार में लाने का सुझाव दिया गया है। क्या ये प्रणालियाँ सही ढंग से छात्रों का मूल्यांकन कर सकती है? ओपन-बुक परीक्षा प्रणाली का अधिकांश शिक्षकों और शिक्षाविदों ने विरोध किया है क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार के अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया लागू नहीं करती जिसमें ओपन-बुक प्रणाली के आधार पर छात्रों को मूल्यांकित किया जा सके। हमें इस परीक्षा विधि की व्यवहारिकता के बारे में विभिन्न स्तरों पर चर्चा-बहस करनी चाहिए ताकि अकादमिक प्रयोजन के अनुसार सही तरह से छात्रों का मूल्यांकन किया जा सके।

प्रासंगिक रूप से, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि अचानक लॉकडाउन के कारण, बड़ी संख्या में छात्र एक बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में विभिन्न स्थानों में फँस गए हैं। उनके पास अध्ययन सामग्री नहीं है, न ही बेहतर इंटरनेट की सुविधा है और बिजली की उपलब्धता भी नहीं है। विशेष रूप से, छात्राएं अपने घरो में अनुकूल वातावरण में नहीं हैं। इसके अलावा, कोरोना वायरस के संकट ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। इस स्थिति में सही तरीके से पढ़ने या परीक्षा की तैयारी के लिए उपयुक्त समय

निकालना और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना एक मुश्किल काम है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में छात्रों से किसी भी तरह की परीक्षा लिए जाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है!

क्या ऑनलाइन प्रणाली के विरोध का मतलब शिक्षा में तकनीक के उपयोग का विरोध करना है?

यूँ देखा जाए तो शिक्षण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के उपयोग को नकारना या विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। अध्ययन-अध्यापन में प्रौद्योगिकी के अनेक फायदे हैं। वास्तव में, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास से ही यह संभव हो पाया है कि दुनियाभर की बहुमूल्य अध्ययन सामग्रियाँ छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक समुदायों को उपलब्ध हो पाये हैं। प्रोजेक्ट म्यूज, JSTORE, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग कुछ ऐसे अभिलेखागार हैं जो अनेको मूल्यवान और दुर्लभ लेख हमें मुहैया कराते हैं, जिसे आमतौर पर प्राप्त करना हम में से अनेको के लिए संभव नहीं होता। परन्तु, शिक्षण प्रणाली में आई.टी. के इस्तेमाल से होने वाले अनेक फायदों के बावजूद, ऑनलाइन प्रणाली कभी भी भौतिक परिसरों में होने वाली कक्षाओं का विकल्प नहीं हो सकती। शिक्षण की पारस्परिक पद्धति के स्थान पर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को लाने की कोई भी पहल सार्वभौमिक शिक्षा के लिए अहितकर होगा।

हमारे देश के छात्र समुदाय में पाई जाने वाली विषमताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि, जहाँ भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो, उसकी पहुँच सभी के लिए समान हो।

निष्कर्ष:

यह सच है की कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन ने हमें शारीरिक रूप से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है, और इस परिस्थिति में हम कुछ समय तक भौतिक परिसर में सम्मुख होकर अध्ययन-अध्यापन या किसी भी प्रकार की अकादमिक गतिविधि करने की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में हम यह तो कह सकते है कि इस लॉकडाउन की अवधि में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से छात्रों को आंशिक रूप से व्यस्त रखा जा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में इसे भौतिक परिसर में अध्ययन-अध्यापन और परीक्षा का विकल्प नहीं माना जा सकता है।

चूँकि हमारा समाज पहले से ही अर्थ, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र और अन्य कारकों के आधार पर बँटा हुआ है, शिक्षण की पारस्परिक पद्धति के विकल्प के रूप में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति हमारे देश में व्यापक स्तर पर डिजिटल विभाजन को पैदा करेगी। केवल वही छात्र शिक्षा ले पाएंगे जो इंटरनेट, बिजली और कंप्यूटर जैसी अन्य सुविधाओं का खर्च उठाने में सक्षम होंगे। भारत जैसे गरीब आबादी वाले देश में जहाँ भौतिक परिसरों के भीतर ही शिक्षा हासिल करना अधिकांश आबादी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्या ऑनलाइन शिक्षा छात्रों की बड़ी संख्या को शिक्षा के दायरे से बाहर नहीं कर देगी?

यहां तक कि शिक्षकों का भविष्य भी अनिश्चित है। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से क्लासरूम-शिक्षण की आवश्यकता खत्म होती चली जाएगी जिससे कार्यभार कम होता जाएगा। नतीजतन आवश्यक शिक्षकों की संख्या और कम हो जाएगी। यह समझना कठिन नहीं है की इस शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत हर स्तर पर, निजी व सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की जरुरत कम हो जाएगी, और स्थायी शिक्षकों तक को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।

ऑनलाइन शिक्षा को लाने के पीछे क्या कारण है?

ऐसे में जो सवाल हम सभी के सामने आता है वह है कि, ऐसा मॉडल जो शिक्षकों और छात्रों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता और जो शिक्षा के लक्ष्य के प्रतिकूल है, उसे सरकार द्वारा हम पर क्यों थोपा जा रहा है? चलिए, इसे समझने की कोशिश करते हैं।

दुनिया के असंख्य महापुरुषों और महिलाओं ने कठोर संघर्ष द्वारा यहाँ तक कि अनकों ने अपने प्राण की आहुति देकर ज्ञान के खजाने का निर्माण किया है। इस सपने के साथ की ज्ञान का यह खजाना मानव सभ्यता के विकास चक्र को आगे बढ़ाएगा, वे इस खजाने को आने वाली पीढ़ीयों के लिए छोड़ गए हैं। इस को गहराई से महसूस करते हुए हमारे देश के और दुनियाभर के पुनर्जागरण काल के मनीषियों ने यह परिकल्पित किया था कि शिक्षा एक मानवीय चरित्र के निर्माण की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी बोध को पैदा करती है। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक और जनतांत्रिक शिक्षा पर जोर दिया, अर्थात सभी जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा की समान उपलब्धता होनी चाहिए। इसीलिए, यह माना गया कि एक लोकतान्त्रिक सरकार की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह

सार्वभौमिक शिक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। इन मनीषियों ने यह मांग की थी कि सभी को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। और यही वह बिंदु है जिस पर हमारे देश की वर्त्तमान आर्थिक व्यवस्था के साथ एकविरोध पैदा होता है।

सत्तासीन वर्ग लॉकडाउन को एक मौके के रूप में इस्तेमाल करते हुए 'उच्च शिक्षा में सुधारों पर जोर' दे रहे हैं। यह बात समझने के लिए कुछ तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं - 10 अप्रैल को, एम.एच.आर.डी. के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, "एम.एच.आर.डी. के विभिन्न ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की पहुँच संयुक्त रूप से 23 मार्च के बाद से 1.4 करोड़ से अधिक देखी गई है जो अभूतपूर्व है।" 13 अप्रैल को कुछ मीडिया के माध्यम से यह सामने आया कि यू.जी.सी. ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अलग समिति का गठन किया है। 17 मई को, वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन शिक्षा के बहुपद्धति पहुँच के लिए "प्रधानमंत्री ई-विद्या कार्यक्रम" को प्रारंभ करने की घोषणा की। 30 मई को उन्होंने घोषणा की कि देश के "शीर्ष 100 विश्वविद्यालय" यू.जी.सी. या एम.एच.आर.डी. की अनुमति के बिना ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कर सकते हैं। साथ ही डिजिटल लर्निंग के लिए दीक्षा (DIKSHA, एक देश-एक डिजिटल मंच के स्लोगन के साथ), और उन छात्रों के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते है, के लिए DTH चैनल 'स्वयं प्रभा' को शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया गया। (स्रोतः फ्रंटलाइन (अंग्रेजी): जून 19, 2020 ('ऑनलाइन इल्यूशन' लेख)

तथाकथित 'ऑनलाइन शिक्षा' को लागू करने के लिए सुधार कोई नई बात नहीं है। यह सभी सरकारों का अघोषित एजेंडा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. ने इसकी शुरुआत की और केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार जोर-शोर से भारतीय शिक्षा को एक 'वैश्विक वस्तु' बनाने के लिए 'शिक्षा में वैश्विक सुधार' की नीतियों को लागू कर रही है। अप्रत्यक्ष मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 16,802.45 करोड़ रुपये है। भारत का अनुमानित खर्च 6.43 लाख करोड़ रुपये है। (स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20)। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख हिस्सा 'ई-लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस आदि' में निवेश किया जाता है। टेक्नो पैक रिपोर्ट, 2016 के अनुसार भारतीय 'शिक्षा बाजार' के 2020 में 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर (13.6 लाख करोड़) तक पहुँचने का अनुमान है। IBEF (इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा 2003 में स्थापित ट्रस्ट) के मई 2020 के रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में भारत में शिक्षा क्षेत्र के 101.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान था। अमेरिका के बाद भारत ई-लर्निंग का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। वर्ष 2021 तक, 9.5 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ इस क्षेत्र का बाजार मूल्य 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। ये तथ्य स्वयँ बोल रहे हैं कि ये है शिक्षा को एक वस्तु बनाकर उससे लूट-खसोट सुनिश्चित करने की दुर्जन रचना। सरकार लॉकडाउन का प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर 'वैश्विक सुधारों' को और तेजी से लागू कर रही है और लोगो को 'ऑनलाइन शिक्षा' की तरफ बलपूर्वक धकेल रही है, ताकि वह वैश्विक निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए अनुकूल परिस्थिति का संकेत भेज सके। जहाँ सभी निजी स्कूल और कॉलेज डोनेशन और कैपिटेशन शुल्क एकत्र करने के इरादे से 'ऑनलाइन कक्षाएं' संचालित कर रहे हैं वहीं शोषक वर्ग आम जनता की बदहाली पर भी लाभ कमा रहे हैं। ये है पूंजीवाद का क्रूर चेहरा। जब लोग लॉकडाउन से पैदा हुई समस्या और कोविड जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, हमारी सरकारें कॉर्पोरेट घरानों और निजी प्रबंधनो के निर्मम मुनाफाखोरी की सूत्रधार बन गई हैं।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें सबकुछ को एक वस्तु के रूप माना जाता है जिससे अधिकतम लाभ कमाया जा सके। यह अपनी शुरूआती दौर की प्रगतिशील भूमिका को छोड़कर असमाधेय बाजार संकट के दौर में प्रवेश कर चुका है। इस संकट ने उन्हें यहाँ तक कि विभिन्न सेवा क्षेत्रों जैसे पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा जिन्हें मानव आवश्यकताओं के लिए जरुरी माना जाता है, का दोहन करने के लिए बेताब कर दिया है। राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग ने शिक्षा क्षेत्र से होने वाले अकूत लाभ को समझ लिया है, और इसीलिए ये निवेश का एक आकर्षक क्षेत्र बन गया है। इस वर्ग के राजनैतिक प्रबंधक के रूप में, विभिन्न राजनैतिक दलों ने शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण के लिए एक के बाद एक अनेक नीतियों को लागू किया है। शासक वर्ग के हितों को साधते हुए, आजादी के बाद से ही तमाम सरकारें सार्वजनिक शिक्षा की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए, शिक्षा बजट में लगातार

कमी करते आए हैं। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा है या ऐसी नीतियों के अधीन किया जा रहा है जिससे निजी निवेशकों को इस क्षेत्र में आने का मौका मिल सके। ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली, जिसमें अध्ययन-अध्यापन के लिए भौतिक परिसर की आवश्यकता नहीं होती, शिक्षा बजट में और भी कटौती करने में सरकार की मदद करेगी। दिलचस्प बात है कि, जो केंद्र सरकार बड़े उत्साह के साथ ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, उन्होंने ही डिजिटल ई-लर्निंग के लिए एम.एच.आर.डी. का बजट 2019-20 में 604 करोड़ रुपये से घटाकर 2020-21 में 469 करोड़ रुपये कर दिया। इसका मतलब है कि डिजिटल अध्ययन-अध्यापन के लिए, जिसका फायदा निश्चित रूप से छात्रों के एक बहुत छोटे से हिस्से को ही होगा, कॉर्पोरेट्स को बुलाया जाएगा जिससे शिक्षा और भी महंगी होगी। वर्तमान गहराती मंदी के दौर में दम तोड़ती आई.टी. कॉरपोरेट घरानों के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक उपहार है।

शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से न केवल आर्थिक शोषण किया जा रहा है बल्कि शिक्षा की सही शक्ति को समझते हुए, वर्तमान संकटग्रस्त व्यवस्था वास्तविक ज्ञानोपार्जन की प्रक्रिया को लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। वर्तमान सत्ताधारी वर्ग बखूबी जानते हैं कि, अगर देश के छात्र-नौजवान सच्चे ज्ञान, उन्नत मुल्यबोध हासिल कर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझने लगेंगे तब इस शोषणमूलक समाज का खात्मा नजदीक होगा जो अशिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, महिलाओं और बच्चों पर बढ़ते अपराध और अन्य असंख्य सामाजिक रोगों की जड़ है। छात्रों और शिक्षकों के लिए, कॉलेज और विश्वविद्यालय एक ऐसे स्थान के रूप में काम करते हैं जहाँ उन्हें समाज को जानने का मौका मिलता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक समस्याओं को जानने व समझने की कोशिश करते हैं और समाज की बेहतरी के लिए मिलकर काम करते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, "शिक्षा तथ्यों का अध्ययन नहीं, यह मष्तिष्क के सोचने-समझने का प्रशिक्षण है।" (Education is not the learning of facts but the training of the mind to think)

स्वभाविक रूप से, ऑनलाइन पद्धति अकादमिक समुदाय के पारस्परिक संबंध को समाप्त कर देगी। इस शिक्षण पद्धति को अपनाने से निश्चित तौर पर सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा पहुँचेगी। वर्तमान केंद्र सरकार का ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को अपनाने के प्रति उत्साहित कदम और इस लॉकडाउन का फायदा उठाकर उसे कार्यान्वित करने की कोशिश, शैक्षणिक समुदाय के गैर-सामाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है।

अपीलः

इस स्थिति में, हम सरकार से यह मांग करते हैं कि ऑनलाइन शैक्षणिक प्रणाली के संबंध में कोई भी नीति को तैयार करने के लिए वह विभिन्न छात्र यूनियन, छात्र संगठन, शिक्षक संघ, अभिभावक संघ के प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों को एक लोकतांत्रिक वार्ता के लिए आमंत्रित करे। लॉकडाउन की स्थिति में यू.जी.सी. दिशा-निर्देशों को तैयार किया जाना भी आकस्मिक आधार पर व्यापक परामर्श के साथ होना चाहिए था, जिसका पूर्ण अभाव हमें देखने को मिला है। यह तौर-तरीका जनतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था की अवधारना के बिल्कुल विपरीत है। यह हमें बिलकुल भी मान्य नहीं है और इसी कारणवश हमारे देश के शैक्षणिक समुदाय और शिक्षाप्रेमी जनता इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं।

हम इस देश के छात्रों, शैक्षणिक समुदाय, बुद्धिजीवियों और तमाम शिक्षाप्रेमी जनता से, यू.जी.सी. और केंद्र सरकार के ऐसे विनाशकारी कदम के खिलाफ एक संयुक्त आंदोलन निर्मित करने की अपील करते हैं। पारस्परिक शिक्षा के स्थान पर लाई जाने वाली विभाजनकारी ऑनलाइन शिक्षा, शिक्षा के निजीकरण व बाजारीकरण और छात्रों व शिक्षकों के गैर-सामाजीकरण की राजनीति के खिलाफ तथा सभी के लिए सार्वभौमिक और उत्कृष्ट शिक्षा की मांग को लेकर ए.आई.डी.एस.ओ. आप सभी से अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान करती है।

शराबबंदी आंदोलन

AIDSO की केरल राज्य समिति ने एक ऑनलाइन सोशल मीडिया अभियान का आयोजन किया, जिसमें मांग की गई कि कोरोना महामारी के शुरुआत से शराब दुकानों पर जो प्रतिबंध लगाया गया वह हमेशा के लिए रहना चाहिए। लॉकडाउन द्वारा बनाई गई एक अनोखी स्थिति के कारण यह अभियान लिया गया। ऑल इंडिया डी.एस.ओ., केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही शराब के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। केरल में वामपंथी और दक्षिणपंथी पार्टियां जो एक के बाद एक सत्ता पर आए उन्होंने शराब को धन कमाने के जरिए के रूप में ही देखा इसीलिए उन्होंने हमेशा से ही शराब को बेशर्मी से बढ़ावा दिया। इसके अलावा, विभिन्न सरकारों को शक्तिशाली शराब माफियाओं द्वारा संरक्षण प्राप्त हैं। इसने एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया है जिसमें केरल के सामाजिक ताने-बाने को बहुत नुकसान हुआ है। भयावह अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हमले एवं मोटर वाहन दुर्घटनाओं मेंहम जो सालाना वृद्धि देख रहे हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शराब ही इसका कारण है। राज्य भर में परिवार टूट रहे हैं और यहां तक कि स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भी शराब की लत लग गई है। त्यौहार का मौसम शराब के रिकॉर्ड खपत के लिए विशेष रूप से बदनाम है। यह कोरोनावायरस महामारी की पृष्ठभूमि में हुआ। फिर भी, सरकार शराब बंद करने की इच्छुक नही थी, इसी का

नतीजा हमे शराब दुकानों में भीड़ के रूप में दिखाई दिया जिसने इन परिस्थितियों में महामारी को बढ़ाने का काम किया। केवल स्थिति के बिगड़ने पर ही सरकार को सभी शराब दुकानें बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने लगातार एक रुख बनाए रखा था कि दुकानें बंद करने से अवैध और नकली शराब की बिक्री बढ़ेगी। सरकार ने यह भी बहाना बनाने की कोशिश की कि अगर शराब को पूरी तरह से रोक दिया जाए तो कई नशेड़ी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होंगे। यहां तक कि चिकित्सकों को निर्देशित किया गया कि वे रोगियों को शराब का सेवन करने के लिए निर्देशित करें! (चिकित्सकों ने सर्वसम्मति से ऐसा करने से इनकार कर दिया)। अंत में, शराब की ऑनलाइन बिक्री पर भी विचार किया गया।

लेकिन लॉकडाउन वास्तव में सरकार के सभी तर्कों का खंडन था।जैसे-जैसे दिन बीतते गए राज्य में विभिन्न नशामुक्ति केंद्रों पर लोगों की संख्या बढ़ती गई। वे शराब के खतरे से बाहर निकलने के लिए रास्ता पूछ रहे थे जो उनके जीवन को जकड़े हुए था। लॉकडाउन में बहुत से लोगों के जीवन और परिवारों में बदलाव आया है। इसने ना केवल सरकारी दावों को खारिज कर दिया गया था, बल्कि शराब की उपलब्धता ही मुख्य समस्या साबित हुई थी। लेकिन इस लॉकडाउन के बावजूद सरकार ने छह नई बारों के लाइसेंस की अनुमति दी। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि हमारा संगठन इस तरह का अभियान चलाए।

हमने 22 अप्रैल को **"बोतल तोड़ो"** नाम से अभियान का आह्वान किया था। छात्रों ने विभिन्न रूप में हमारी मांगो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किया । हमारे आव्हान पर न केवल छात्र-छात्राओं ने बल्कि समाज की खास हस्तियों ने भी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने अभियान का हिस्सा बनने के लिए नाटक-व्यंग्य, लघु फिल्में, पोस्टर, गीत, नृत्य और बड़े पैमाने पर अन्य विभिन्न कृतियों को तैयार किया। अभियान वास्तव में बहुत बड़ी सफलता थी।

लॉकडाउन के इस तीसरे चरण में, कई राज्यों में शराब की दुकानें खुल गयी हैं। केरल सरकार ने महामारी के कारण का हवाला देते हुए उन्हें दोबारा नहीं खोला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बहुसंख्यक लोगों की शराब विरोधी भावना ने सरकार को दुकानों को फिर से ना खोलने के बारे में सतर्क कर दिया है। दूकानों को फिर से खोलना वास्तव में इस लॉकडाउन के दौरान हमारे प्राप्त किए गए सभी लाभों का एक दुः खद परिवर्तन होगा। इसके लिए हमें अधिक सतर्क रहने और विरोध के मार्ग पर बने रहने की आवश्यकता है।

दिल्ली: 6 मई 2020 को, एआईडीएसओ की दिल्ली राज्य कमेटी ने शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ एक ऑनलाइन राज्य स्तरीय मांग दिवस मनाया। तालाबंदी के दौरान जिन मांगों पर प्रकाश डाला गया, वे हैं "तत्काल शराब बिक्री पर प्रतिबंध और राष्ट्र को भोजन की आवश्यकता है शराब नहीं।" ऑनलाइन विरोध में विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कई छात्रों ने

विरोध की आवाज उठाई। इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। जब मानव जाति घातक महामारी कोविड-19 का सामना कर रही है, तो सरकार ने

लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बजाय शराब की दुकानें खोल दीं। भोजन न मिलने के कारण मजदूर भुखमरी से पीड़ित हैं और आत्महत्या भी कर रहे हैं। परिवहन की अनुपलब्धता के कारण हजारों दिहाड़ी मजदूर और प्रवासी मजदूर अपने गाँवों पैदल ही जाने लगे। उनमें से कई की रास्ते में ही मौत हो गई। जहां हम देख रहे हैं कि सरकार गरीब लोगों के लिए भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों को प्रदान करने में असमर्थ है, वहां इसके बजाय सरकार शराब की पूर्ति कर रही है। दूसरी ओर हम जानते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2014 कहती है कि शराब के कारण महिलाओं पर 85% अपराध थे। 2016 की तुलना में 2017 में यह 6% बढ़ गया है। हम जानते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन से पहले ही अपराधों के बारे में कुछ भी नहीं किया, और अब लॉकडाउन सरकार के लिए एक बहाना बन गया है कि इस अवधि के दौरान कोई भी अपराध नहीं हुआ है। शराब की बिक्री से महिलाओं और बच्चों पर अपराध की दर में वृद्धि होगी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से पता चला कि लोगों ने शराब खरीदने के लिए लॉकडाउन के नियमो को नजरअंदाज कर दिया। निस्संदेह, यह कई लोगों के जीवन को जोखिम में डालेगा क्योंकि यह बड़े पैमाने पर कोविद -19 के प्रसार की संभावना को बढ़ाएगा। अपनी अपील में, कमेटी ने आम तौर पर समुदाय और लोगों से शराब की दुकानों को खोलने के विरोध में और विशेष रूप से संकट में पड़े सभी लोगों दैनिक वेतनभोगी, प्रवासी मजदूर और गरीब लोगों के सभी वर्गों के लिए तत्काल और आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज उठाने की अपील की। महिलाओं और बच्चियों पर हो रहे अत्याचार व अपराध को रोकने के उपाय के रूप में शराब, अश्लील फिल्मों को बंद करने की मांग की गई। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (AIDSO), ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (AIDYO), ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (AIMSS) के द्वारा संयुक्त रुप से तमिलनाडु में 21 मई को ऑनलाइन अभियान का आयोजन किया गया।

तमिलनाडु मेंशराब की बिक्री के खिलाफ 21 मई 2020 को टोटल डिमांडडे का आयोजन किया गया। 25 मई 2020 को झारखंड में एआईडीएसओ, एआईडीवाईओ और एआईएमएसएस के द्वारा शराब के उत्पादन व बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने हेतु संयुक्त रूप से ऑनलाइन विरोध किया गया।

कर्नाटक में शुल्क वृद्धि के खिलाफ आंदोलन

ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टुडेन्ट्स ऑर्गेनाइज़ेशन (ए.आई.डी.एस.ओ.) कर्नाटक राज्य कमिटी द्वारा 2 मई को राज्यव्यापी ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन मेडिकल एवं डेन्टल कॉलेजों में पी.जी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बेतहाशा शुल्क वृद्धि के खिलाफ था। गौरतलब है की निजी मेडिकल शिक्षा संस्थानो ने सरकारी कोटा का प्रवेश शुल्क 5-8 लाख रुपये से बढ़ाकर 7-13 लाख प्रति वर्ष कर दिया है। वही निजी कोटा का प्रवेश शुल्क 8-7 लाख रुपये से बढ़ाकर 11-5 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकारी मेडिकल व डेन्टल शिक्षा संस्थानों ने वर्ष 2019 मे शुल्क वृद्धि पाँच गुना बढ़ाकर 1-13 लाख रुपये कर दी थी।

ए.आई.डी.एस.ओ. द्वारा आयोजित ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन में कर्नाटक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से मेडिकल व डेन्टल शिक्षा संस्थानो के हजारों छात्रों ने पूरे गर्मजोशी एवं भरोसे के साथ हिस्सा लिया और विभिन्न मांगों वाले प्लेकार्ड्स के साथ फोटो खिचवाकर सोशल मीडिया में पोस्ट की गई जिसमें सभी मेडिकल व डेन्टल शिक्षा संस्थानों मे शुल्क वृद्धि वापस लेने, सरकारी शिक्षा संस्थानों मे पी.जी. पाठ्यक्रम के लिए सीट संख्या बढ़ाने और मैनेजमेंट कोटा रद्द करने की मांगें शामिल थी।

राज्य कमिटी द्वारा जारी ऑनलाइन पिटीशन मे कहा गया है कि,"...मेडिकल शिक्षा सहित उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र का व्यापारीकरण और उपभोग्य वस्तुओं मे तब्दील करने की नीति के कारण अनेक गरीब एवं प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित रखने की साजिश चलाई जा रही है। यह शुल्क वृद्धि का निर्णय ऐसे एक समय पर लिया गया है जब पूरे देश में कोविड-19 के कारण कामकाज बंद होने की वजह से जनता आर्थिक रूप से बेहाल है और जीवनयापन करने मे काफी दिक्कतों का सामना कर रही है। ऐसे समय पर शुल्क वृद्धि का निर्णय असंवेदनशील मनोवृत्ति को दर्शाता है। यह बात साफ तौर से जाहिर होती है कि वास्तव मे राज्य सरकार को जनता की दु:ख तकलीफों से कोई वास्ता नही है बल्कि सरकार की रूचि पैसों के प्यासे मुनाफाखोर निजी संचालकों के स्वार्थ से है और वह जनता

को लूट का साधन मात्र समझती हैं।" पिटीशन में राज्य सरकार से निम्नलिखित माँगे की गई।

1) सभी मेडिकल व डेन्टल स्नातकोत्तर (पी.जी.) पाठ्यक्रम में की गई शुल्क वृद्धि तुरंत वापस ली जाए और इसे छात्रों के दायरे में लाया जाए।

2)सरकारी मेडिकल व डेन्टल शिक्षा संस्थानों मे आवश्यक संसाधनों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए सीट संख्या बढ़ाई जाए।

3)सभी निजी व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की देखरेख के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर कानूनी प्रबंधन किया जाए। जिसमें क) सभी सीटों का सरकारी कोटा के तहत मेरिट के आधार पर बँटवारा किया जाए एवं ख)यह सुनिश्चित किया जाए शुल्क संरचना आम जनमानस की पहुँच के दायरे में हो।

यह पिटीशन सोशन मिडीया में काफी वायरल हुई जिसमें करीब 7000 हस्ताक्षर किए गए। यह विशेषत: मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों के बीच ज्याद प्रचारित हुई। जिसमें अनेकों ने ए.आई.डी.एस.ओ. द्वारा तुरंत पहल करने और इस विषय को चर्चा में लाने के लिए तारीफ की तथा वे सभी इन मांगो को लेकर ए.आई.डी.एस.ओ. के साथ खड़े हुए और ज़ाहिर किया की शुल्क वृद्धि करना मेडिकल शिक्षा पर एक हमला है ।

शहीद प्रीतीलता वाद्देदार की 110वीं जयंती सम्मानपूर्वक मनाई गई

त्रिपुरा: 5 मई 2020 को राज्य भर में शहीद प्रीतिलता वाद्देद्दार की 110वीं जयंती ए.आई.डी.एस.ओ., ए.आई.डी.वाई.ओ. तथा ए.आई.एम.एस.एस. द्वारा शानदार ढंग से मनाया गया। इसी क्रम में अगरतला में स्थित राज्य कार्यालय में भी यह कार्यक्रम शानदार ढंग से आयोजित किया गया। कॉमरेड शेफाली देबनाथ (राज्य सचिव, ए.आई.एम.एस.एस.), कॉमरेड भाबतोश देव (राज्य अध्यक्ष, ए.आई.डी.वाई.ओ.) और कॉमरेड मृदुल कांति सरकार (अखिल भारतीय सचिवमंडल सदस्य, ए.आई.डी.एस.ओ.) सहित उपस्थित अन्य नेतागणों ने शहीद प्रीतिलता की तस्वीर पर पुष्प अर्पण कर अपनी श्रद्धा अर्पित किए। इसके बाद प्रीतिलता के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कॉमरेड मृदुल कांति सरकार की बहुत ही संक्षिप्त चर्चा के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

23 मार्च 2020 को घर-घर में मनाया गया शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की शहादत दिवस

23 मार्च 2020, शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की 90वें शहादत दिवस को सम्मानपूर्वक मनाने के आह्वान पर देशभर के विभिन्न तबकों के आम लोगों तथा खासकर स्कूल-कॉलेज के छात्रों और युवाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। ये कार्यक्रम छात्रों द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पूरी तरह से पालन करते हुए मनाये गये।

ए.आई.डी.एस.ओ. के इस आह्वान पर कर्नाटक राज्य के छात्रों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। सभी जिले के कार्यकारिणी सदस्य, काउंसिल सदस्य और कार्यकर्ताओं नें पूरे कर्नाटक राज्य में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की शहादत दिवस को अपने परिवार में, पड़ोसियों के यहाँ और सगे संबंधियों के यहाँ बड़ी गंभीरता के साथ मनाया। वे सभी अपने आसपास लोगों के बीच में शहीद भगत सिंह का लेख पढ़कर सुनाया और उस पर चर्चा की। बच्चों के बीच में एकदम शुरुआत से ही शहीद भगत सिंह के शहादत को मनाने के महत्व को भी स्पष्ट किया। जिन लोगों के पास भगत सिंह की तस्वीर नहीं थी उन लोगों ने अपनी किताबों में छपे भगत सिंह की तस्वीर, फोन और कुछ लोगों ने भगत सिंह की तस्वीर बनाकर कार्यक्रम को आयोजित किया।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में 23 मार्च 2020 को ए.

आई.डी.एस.ओ. द्वारा जौनपुर व प्रतापगढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर पुष्पांजलि, गोष्ठी, फिल्म शो आदि का आयोजन किया गया।

23 मार्च को श्रीनगर, उत्तराखण्ड में पूरे शहर में जनगीतों के साथ प्रभात फेरी निकाली गयी और शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया गया।

शहीद बैकुंठ नाथ शुक्ल की शहादत को मनाया गया

आजादी की लड़ाई लड़ने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के मुकदमे के दौरान सरकारी गवाह बने फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में शहीद बैकुंठ नाथ शुक्ल को 14 मई 1934 को अंग्रेजों द्वारा फाँसी पर लटका दिया गया था। वे आजादी आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के निर्माणकर्ताओं में से एक थे।

14 मई 2020 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में ए.आई.डी.एस.ओ. और ए.आई.डी.वाई.ओ. के संयुक्त बैनर से शहीद बैकुंठ नाथ शुक्ल की शहादत दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ए.आई.डी.एस.ओ. बिहार राज्य कमेटी के सचिव कॉमरेड विजय कुमार सहित उपस्थित अन्य नेताओं ने शहीद बैकुंठ नाथ शुक्ल की तस्वीर पर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया। इसके

बाद उनके जीवन और संघर्षों पर एक संक्षिप्त परिचर्चा भी की गई।

ए.आई.डी.एस.ओ. की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने प्रदेशव्यापी मांग दिवस आयोजित की

कोरोना महामारी व लॉकडाउन से प्रभावित पीड़ितों व छात्रों की समस्याओं को लेकर 21 मई 2020 को ए.आई.डी.एस.ओ. की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की ओर से 'आनलाईन राज्य स्तरीय मांग दिवस' आयोजित किया गया। इस अवसर पर जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, सुल्तानपुर, बलिया जिले के विभिन्न क्षेत्रो में सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने अपने घर पर रहते हुए मांग पट्टिकाओं को हाथ में लेकर अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट व शेयर किया और राज्य सरकार से निम्नलिखित प्रमुख माँगें पूरी करने की अपील की।

1. प्रवासी मजदूरों व छात्रों को सुरक्षित व नि:शुल्क उनके घर पहुँचाया जाए।
2. सभी गाँवो में क्वारन्टाइन सेंटर बनाये जाएँ और आवश्यक सुविधाओं व इलाज की व्यवस्था की जाए।
3. छात्रों को पाठ्य सामग्री मुफ्त दी जाए व ६ महीने तक सभी फीसें माफ की जाए।
4. सभी छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति दिया जाए।
5. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 व NCF (नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क) रद्द किया जाए।
6. शराब बिक्री पर रोक लगाई जाए और छात्राओं व महिलाओं के सुरक्षा की गारंटी दी जाए।
7. हॉस्टलों व किराये के मकान में रहने वाले विद्यार्थियों से किराया/फीस न लिया जाए।

मुफ्त किताब उपलब्ध कराने और सभी प्रकार की फीस माफ करने की मांग को लेकर उड़ीसा में ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन

20 अप्रैल 2020: एआईडीएसओ की उड़ीसा राज्य कमेटी द्वारा कोरोना काल में नौवीं और दसवीं के छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ऑनलाइन प्रतिवाद किया गया। गौरतलब है कि इस साल माध्यमिक शिक्षा परिषद ने नौवीं और दसवीं कक्षा के सिलेबस में बदलाव किया है जिसके चलते अब उन्हें नई किताबें खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि इसका आर्थिक असर किस प्रकार गरीब छात्रों पर पड़ेगा। इसीलिए इसके खिलाफ उड़ीसा राज्य के हर एक कोने से करीब 500 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन प्रतिवाद में हिस्सा लिया। साथ ही 29 अप्रैल 2020 को उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों तथा यूनिटों में एआईडीएसओ की ओर से मुफ्त किताबें उपलब्ध कराने एवं सभी छात्र-छात्राओं की फीस माफ करने की मांग को लेकर ई-मेल के जरिए मुख्यमंत्री, सार्वजनिक शिक्षा मंत्री और बोर्ड के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर ज्ञापन सौंपा गया इसके साथ ही उसी दिन सार्वजनिक शिक्षा मंत्री के निवास ग्रह में भी इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया।

एम्स में प्रवेश परीक्षा स्थगित करवाने की माँग को लेकर ए.आई.डी.एस.ओ. के द्वारा किए गए आंदोलन की जीत

हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा जुलाई-2020 सत्र के लिए एम.डी/एम.एस./डी.एम.(6 वर्ष)/एम.सी.एच.(6 वर्ष)/एम.डी.एस. की होने वाली स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की तारीख (11 जून 2020) घोषणा की गयी थी और एक दिशानिर्देश जारी किया गया था कि उम्मीदवारों के लिए घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है कि वे न तो कोविड-19 मरीजों के संपर्क में है और न क्वारंटाइन में है। ये उन उम्मीदवारों के लिए भेदभावपूर्ण है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड-19 के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। यह उन जूनियर डॉक्टरों के लिए भी अन्यायपूर्ण है जो जी जान लगाकर पूरे देशभर में कोविड मरीजों की मदद कर रहे हैं। साथ ही एम्स की अथॉरिटी द्वारा उठाया गया यह कदम कोरोना महामारी या भविष्य में इस तरह की युद्ध जैसी परिस्थिति से लड़ने के लिए आकांक्षी डॉक्टरों को पूरी तरह से हतोत्साहित करेगा। यह भेदभावपूर्ण प्रक्रिया सम्पूर्ण रूप से अनैतिक है और इतना ही नहीं यह चिकित्सा नैतिकता की अवधारणा के भी खिलाफ है।

इस गंभीर स्थिति में, ए.आई.डी.एस.ओ. ने परीक्षा प्राधिकरण से माँग की कि सभी आकांक्षी उम्मीदवारों को परीक्षा में समायोजित करने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक और संरचनात्मक कदम उठाएँ या जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए तब तक परीक्षा को स्थगित करें।

इस मांग को लेकर, ए.आई.डी.एस.ओ. ने मेडिकल छात्रों को लेकर देशव्यापी ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन किया और एम्स की अथॉरिटी के समक्ष ज्ञापन सौंपा। ए.आई.डी.एस.ओ. के द्वारा किए गए इस विरोध के कारण अथॉरिटी ने परीक्षा को स्थिति सामान्य होने तक के लिए स्थगित कर दिया।

छात्र आंदोलन की जीत

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान एआईडीएसओ ने असम में सभी छात्रों के लिए 100 प्रतिशत फीस माफ करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया और एमएचआरडी और राज्य के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे मनाने के अलावा, 30 मई को ऑल असम डिमांड डे मनाया गया। राज्य के हजारों छात्रों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। मांगों के पक्ष में लोगों का मत जुटाया गया। उसके बाद कई छात्र संगठनों ने हमारी मांगों को उठाया। सभी के लिए आर्थिक पैकेज और मुफ्त परिवहन पास की मांग के साथ विभिन्न शैक्षणिक मांगों को उठाया गया। 7 जून को राज्य के शिक्षा मंत्री ने सभी छात्रों के लिए 100 प्रतिशत फीस माफ करने की घोषणा की और कहा कि सरकार छात्रावास की बकाया राशि के लिए सालाना 12000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी और डिग्री छात्रों को किताबें खरीदने के लिए 1000 रुपये देगी। यह छात्रों के आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। एआईडीएसओ अन्य मांगों की प्राप्ति के लिए आंदोलन जारी रखेगा।

ए.आई.डी.एस.ओ ने एम.एच.आर.डी, यू.जी.सी और कुलपतियों को ज्ञापन सौंपा

(कोविड-19 महामारी और उसके बाद हुए लॉकडाउन के संकटपूर्ण स्थिति में विश्वविद्यालयों की परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर व वर्तमान शैक्षणिक हालातों से संबंधित विषयों पर यू.जी.सी. द्वारा दिए गए राय और सुझाव पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को ए.आई.डी.एस.ओ. द्वारा 22 मई 2020 को एक ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ हम इस ज्ञापन का हिन्दी रूपांतरण प्रकाशित कर रहे हैं। - संपादक, छात्र संकल्प)

सेवा में,
श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

महोदय,

वर्तमान में हम एक अभूतपूर्व हालात का सामना कर रहे हैं। कोरोना जैसी खतरनाक व जानलेवा महामारी के संक्रमण से बचना व जीवन बचाना ही आज लोगों की प्राथमिकता बन चुकी है। फिर भी, कोरोना संक्रमित मामले व उससे होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस महामारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा अचानक से और बगैर किसी तैयारी के लॉकडाउन की घोषणा ने विशेष रूप से समाज के निचले तबके के लोगों की जिंदगी में अकल्पनीय समस्याओं को जन्म दिया है। लोगों के पास न

आश्रय है, न रोजगार और न ही खाना। भूख से होने वाली मौतों की बेहद दुखी करने वाली खबरें मिल रही हैं। भूख से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हजारों-लाखों प्रवासी मजदूर जिनमें गर्भवती महिलाएँ भी शामिल हैं, छोटे बच्चों व बुजुर्गों के साथ चिलचिलाती धूप में नंगे पैर हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं और रास्ते में भूख, प्यास तथा सड़क व रेल दुर्घटनाओं का शिकार होकर अपनी जान गँवा रहे हैं। ऐसे दुखद व संकट के समय में वर्तमान सरकार, जो अपने आपको जनसेवक होने का दावा करती है, जनता को जरूरी सहायता प्रदान करने में पूरी तरह असफल हुई है।

छात्र समुदाय भी इस संकट से अछूता नहीं है। कोविड-19 ने शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर शोध स्तर तक गंभीर चुनौती पैदा की है। इस गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए विशेषकर उच्च शिक्षा के लिए यू.जी.सी. द्वारा कुछ दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। छात्र संगठन ए.आई.डी.एस.ओ. ने यू.जी.सी. द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों का बारीकी से अध्ययन किया है। हम अपनी ओर से इन दिशा-निर्देशों पर और कोविड-19 महामारी की वजह से छात्र समुदाय के सामने मौजूद विकट परिस्थिति के सम्बंध में कुछ सुझाव आपके समक्ष पेश करना चाहते है।

सर्वप्रथम हम कहना चाहेंगे कि जनतांत्रिक प्रक्रिया के मुताबिक शैक्षणिक विषयों पर किसी भी प्रकार का निर्णय शिक्षाविदों व शिक्षा जगत से जुड़े बुद्धिजीवी तबके द्वारा लिया जाना चाहिए। वर्तमान अभूतपूर्व संकट के समय में तो यह और निहायत जरूरी था कि पठन-पाठन, परीक्षाओं, शैक्षणिक कैलेंडर, स्कूली शिक्षा, अनुसंधान और विकास (Research and Development) और शिक्षा से जुड़ी अन्य समस्याएँ, जो कोविड-19 महामारी के चलते उठ खड़ी हुई हैं, उनके समाधान के लिए छात्र संगठनों, छात्र यूनियनों, शिक्षक संघों, अभिभावक संघों व शिक्षाविदों को शामिल करते हुए आपात बैठकें बुलाकर उनकी राय और सुझाव लेते हुए, छात्रों के शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान ढूंढ़ा जाता। 'सामूहिक जिम्मेदारी' (joint responsibility) और 'त्वरित उचित निर्णय' (quick appropriate decisions) जैसे शब्द जो यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों में शामिल किए गए हैं वे इन्हें तैयार करने में प्रतिबिंबित नहीं हुए हैं। इस तरह के सलाह मशवरे तब तो और भी अत्यंत जरूरी हो जाते हैं जब हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं और कब तक हालात सामान्य होंगे यह कह पाना मुश्किल है। ऐसे में किस प्रकार के निर्णय लेना बेहतर होगा, इस हेतु छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षाविदों के सुझावों के आधार पर यू.जी.सी. को अपने शिक्षा संबंधी मसौदे को तैयार करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। फिर भी एक छात्र संगठन होने के नाते ए.आई.डी.एस.ओ. शिक्षा संबंधी विषयों पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपके समक्ष इस ज्ञापन के माध्यम से निम्न सुझाव पेश करता है:

1) ऑनलाइन प्रणाली पर:

सम्पूर्ण दिशा-निर्देश सभी प्रक्रियाओं में पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली पर ही जोर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जिसमें अध्ययन-अध्यापन से शुरू कर, परीक्षाएँ, परिणामों की घोषणा, अनुसंधान और विकास (Research and Development) मामले भी शामिल हैं। साथ ही इसमें बिना किसी ढिलाई के 'सामाजिक दूरी' (social distancing) के सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करने पर बार-बार जोर दिया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों में भी "सभी छात्रों विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों तक इंटरनेट की पहुँच" की कठिनाई का उल्लेख है। वास्तव में, IAMAI (इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया) की 2019 के रिपोर्ट के अनुसार सारे देश में केवल 36% आबादी तक ही इंटरनेट की उपलब्धता है। इस लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद विश्वविद्यालय में किए गए एक सर्वेक्षण में 2500 छात्रों से पूछे जाने पर कि यदि विश्वविद्यालय उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करे तो क्या वे ऑनलाइन कक्षाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे, लगभग 37% छात्रों ने 'हाँ' में उत्तर दिया, जबकि 45% ने कहा कि वे कभी-कभी शामिल हो पाएंगे और 18% (लगभग 450 छात्रों) ने कहा कि वे बिल्कुल शामिल नहीं हो पाएंगे। ऑनलाइन कक्षाओं तक पहुँच के संबंध में छात्रों की प्रतिक्रियाओं के अनुसार, 'विश्वसनीय कनेक्टिविटी' (reliable connectivity) (40%)

और 'डेटा कनेक्शन का खर्च' (30%) सबसे महत्वपूर्ण पहलू थे। यह भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक की स्थिति है। कोई भी आसानी से उन बहुसंख्यक छात्रों की कठिनाइयों को समझ सकता है जो अविकसित या विकासशील कॉलेज व यूनिवर्सिटी से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों के लिए यह स्थिति और भी भयानक होगी। कई हिस्सों में पर्याप्त बिजली की अनुपलब्धता, स्मार्ट फोन और डेटा कनेक्शन की लागत वहन करने में असमर्थता उन्हें ऑनलाइन से जुड़े किसी भी प्रणाली में पीछे कर देगी। इस समस्या को दिशा-निर्देशों में नजरअंदाज किया गया है।

यहाँ तक कि जो ऑनलाइन शिक्षण का लाभ उठाने में सक्षम हैं, उन्हें भी कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है। कनेक्टिविटी की समस्या के अलावा, प्रत्यक्ष बातचीत का अभाव छात्रों को विषय-वस्तु को ठीक से समझने में और शिक्षकों को समग्र रूप से पढ़ाने में बाधा पैदा करता है। अधिकांश समय कक्षा के अंत में शिक्षकों को लगता है कि उन्होंने केवल जानकारी दी है। यहाँ तक कि, कुछ शिक्षक भी ऑनलाइन शिक्षण पद्धति से ठीक से परिचित नहीं हैं। विज्ञान जैसे विषयों के लिए, जिनमें प्रायोगिक कक्षाएँ शामिल हैं, ऑनलाइन पद्धति बिल्कुल भी कारगर नहीं है। दिशा-निर्देशों में शिक्षकों को अधिक जवाबदेह बनाने की बात की गई है, लेकिन हम जानते हैं कि वे शिक्षक ही हैं जिन्होंने मौजूदा परिस्थिति में भी छात्रों के साथ संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से क्या ढाँचागत विकास के बारे में बात करना और विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही तय करना जरूरी नहीं था?

यह सच है कि वर्तमान परिस्थितियों ने हमें शारीरिक रूप से दूर रहने के लिए मजबूर किया है, और इसलिए हम भौतिक परिसरों के भीतर अध्ययन-अध्यापन या किसी भी अन्य शैक्षणिक गतिविधि की अपेक्षा नहीं कर सकते। किंतु हम यह कहना चाहते हैं, कि इस लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा से ज्यादा छात्रों को व्यस्त रखने का तो माध्यम हो सकती है, लेकिन इसे अध्ययन-अध्यापन, परीक्षाओं और अन्य कई शैक्षणिक गतिविधियों के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है।

2) परीक्षा, मूल्यांकन और शैक्षणिक अनुसूची (academic schedule) पर:

ये दिशा-निर्देश परीक्षाओं के वैकल्पिक तरीकों के बारे में बात करते हुए, ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षाएँ, MCQ/OMR आधारित परीक्षाएँ, असाइनमेंट / प्रजेंटेशन आधारित मूल्यांकन आदि के सुझाव देती है। यह भी सुझाव दिया गया है, कि अगर कोविड -19 के मद्देनजर स्थिति सामान्य नहीं दिखती है, तो 'सामाजिक दूरी' (social distancing), छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों को ग्रेडिंग देकर आगे प्रोमोट किया जा सकता है। इसके तहत विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जा रहे आंतरिक मूल्यांकन के पैटर्न के आधार पर 50% और शेष 50% अंक केवल पिछले सेमेस्टर में प्रदर्शन (यदि उपलब्ध हो तो) के आधार पर प्रदान किए जा सकते हैं।...उन परिस्थितियों में जहाँ पिछले सेमेस्टर या पिछले वर्ष के अंक उपलब्ध नहीं हैं, विशेष रूप से वार्षिक परीक्षा प्रणाली के तहत पहले वर्ष के छात्रों के लिए, 100% मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जा सकता है।

इस बारे में हम कहना चाहते हैं, कि मूल्यांकन पैटर्न के बारे में जो सुझाव दिया गया है वह कभी भी एक छात्र का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता। हाँलाकि, इसके तहत अगले सेमेस्टर में आयोजित विशेष परीक्षा में शामिल होकर ग्रेड में सुधार करने के प्रावधान को रखने की बात की गई है, लेकिन यह भी छात्रों पर एक अतिरिक्त बोझ ही बढ़ाएगा।

हम अगले पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश से संबंधित अंतिम सेमेस्टर/वर्ष के छात्रों की चिंता के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। वे अपना बहुमूल्य अकादमिक वर्ष के नुकसान हो जाने को लेकर चिंतित हैं। उनमें से कई छात्र कैंपस में या उसके आसपास भी नहीं हैं। वे या तो अपने घर पर हैं या कहीं फँसे हुए हैं और अचानक लॉकडाउन के कारण अपनी तैयारी के लिए आवश्यक

अध्ययन सामग्री भी नहीं ले जा सके हैं।

हम यह कहना चाहते हैं कि चाहे वे अंतिम सेमेस्टर/वर्ष के छात्र हों या इन्टरमीडियरी सेमेस्टर/वर्ष के, ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक तो हो सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए। न केवल अधिकांश छात्रों के लिए एक अविश्वसनीय माध्यम होने की वजह से बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए भी इसे लिखित परीक्षाओं के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इसलिए, हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि जैसे ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए स्थिति सामान्य हो जाती है, परीक्षाएँ आयोजित की जाएँ और परीक्षाओं में जाने से पहले उपयुक्त न्यूनतम अवधि के लिए भौतिक परिसरों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ तक कि घोषित अवकाश भी (रविवार को छोड़कर) अतिरिक्त कक्षाओं के लिए रद्द किए जा सकते हैं। इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों के पुनः खोलने के बाद इन तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी ढाँचागत सुधार भी जल्द से जल्द किए जाने चाहिए। इसके लिए, रिक्त शिक्षण पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए।

संस्थानों में सामान्य स्थिति की बहाली के तुरंत बाद, अविलंब एक व्यापक परामर्श करते हुए, विश्वविद्यालयों के असामान्य विकास को ध्यान में रखकर नए दाखिले के लिए पूरे देश में एक सिंक्रनाइज़्ड (synchronised) शैक्षणिक शिड्यूल तैयार किया जाना चाहिए ताकि अंतिम सेमेस्टर/वर्ष का कोई भी छात्र अगले पाठ्यक्रम में दाखिला से वंचित न रहे। इस शैक्षणिक शिड्यूल में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आने वाले शैक्षणिक सत्र के छात्र, अध्ययन-अध्यापन की अवधि में कमी की वजह से ज्यादा दबाव में न आये। संस्थानों, परिसरों और छात्रावासों को फिर से खोलने के बाद, इन स्थानों को एक निश्चित अवधि के लिए नियमित अंतराल पर सेनीटाइज़ किया जाना चाहिए। इस तरह के सभी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक राशि सरकार द्वारा जारी की जानी चाहिए।

3) ऑफलाइन मोड के विषय में:

बहुत ही हल्के तरीके से परीक्षा के ऑफलाइन मोड को एक विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया है। लेकिन क्या केवल इतना कहा जाना पर्याप्त है? ऐसी स्थिति में जहाँ कोविड-19 महामारी की वजह से छात्र और अभिभावक सभी भय में हैं, क्या इस पहलू पर बात करने की आवश्यकता नहीं थी, कि यदि विश्वविद्यालय ऑफलाइन प्रक्रिया में परीक्षा लेते हैं तो छात्रों के परीक्षा में भाग लेने को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी तैयारी है या नहीं?

हाँलाकि यह बात संदर्भ से हटा हुआ प्रतीत हो सकता है लेकिन हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि जब सरकारों और विश्वविद्यालय प्रशासनों को उन छात्रों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी जिन्हें अचानक लॉकडाउन होने के कारण अपने घर से कहीं दूर अटक जाना पड़ा है, कुछ विश्वविद्यालय जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने अपने छात्रों को हॉस्टल खाली करने के लिए नोटिस दिया है। यहाँ तक कि लड़कियों को भी नोटिस दिया गया है। क्या यह लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं है? क्या सरकार को विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? हाँलाकि ड्राफ्ट 'छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा को सुनिश्चित करने...' के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर विश्वविद्यालय उनके लिए सुरक्षा प्रदान करने से इनकार करते हैं, तो एक छात्र परीक्षा कैसे दे पाएगा?

ऐसे हालात में, हम माँग करते हैं कि, सोशल डिस्टेंसिग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, उन सभी छात्रों के साथ-साथ प्रवासी मजदूरों को, जो अचानक लॉकडाउन के कारण फँसे हुए हैं, उनके घर वापस भेजने के लिए और यदि संभव हो तो उनके घर के दरवाजे तक पहुँचाने के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था की जाए।

इसके अलावा, दिशा-निर्देशों में सुझाव है कि शिक्षकों को lCT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) में प्रशिक्षित किया जाना

चाहिए ताकि भविष्य में ऑनलाइन के माध्यम से कम से कम 25% पाठ्यक्रम पूरा कर सकने में वे सक्षम हो सकें। कुछ दिन पहले, माननीय प्रधानमंत्री ने भी शिक्षा की ऑनलाइन प्रकिया के विकास पर जोर दिया था।

हम यह कहना चाहेंगे कि, हम शिक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी के उपयोग के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम एक बार फिर कहते हैं कि शिक्षा की ऑनलाइन प्रकिया कभी भी भौतिक परिसरों में दिए जाने वाले शिक्षा का विकल्प नहीं हो सकती है। कई कार्यों के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन वहाँ भी हमारे देश की छात्र आबादी की विषम संरचना के मद्देनजर सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह प्रकिया भेदभावपूर्ण न हो। आमने-सामने रहकर चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया को ऑनलाइन प्रकिया से बदलने का कोई भी प्रयास शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए हानिकारक होगा।

4) CBCS और सेमेस्टर प्रणाली पर:

हाल में जब से व्यापक तौर पर सेमेस्टर प्रणाली और सी.बी.सी.एस. को लागू किया गया है, तभी से इससे जुड़ी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर सभी विवेकशील, तार्किक, शिक्षा-प्रेमी लोगों, शिक्षाविदों और विभिन्न संगठनों ने उठाया है। सभी ने यह महसूस किया है कि सेमेस्टर और सी.बी.सी.एस. ने शिक्षा प्रणाली को विशेष रूप से अध्ययन-अध्यापन और विषय-वस्तु के बारे में सामग्रिक तौर से ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इन प्रणालियों को केवल वैश्विक बाजार की माँग के साथ संगतता बनाने के लिए लाया गया है।

सी.बी.सी.एस. का जटिल पाठ्यक्रम संरचना और वार्षिक प्रणाली की तुलना में सेमेस्टर प्रणाली के तहत अध्ययन-अध्यापन की अल्पावधि, मौजूदा वक्त के मुश्किल हालात का सामना करने के हिसाब से बेहद प्रतिकूल हैं। इस तरह की परिस्थिति में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को वार्षिक प्रणाली में ज्यादा आसानी से सामना किया जा सकता है। कोविड-19 के चलते पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या वार्षिक प्रणाली ज्यादा कारगर उपाय साबित नहीं होता? अनेक शिक्षाविदों, शिक्षा प्रेमी जनता और विवेकशील नागरिकों की राय है कि अगर हम सेमेस्टर प्रणाली को यंत्रवत ढंग से लागू करेंगे और इस ढाँचे के अनुरूप परीक्षा के तरीको को विकसित करने का प्रयास करेंगे, तो यह विनाशकारी होगा और इसीलिए शिक्षा के मानक और गुणवत्ता को बनाए रखने तथा छात्रों के हित में यह बेहतर है कि सभी विश्वविद्यालय इस शैक्षणिक वर्ष में वार्षिक परीक्षा योजना लागू करें।

इस संकट ने हमें सिखाया है कि CBCS और सेमेस्टर प्रणाली की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है और इसलिए भविष्य में ऐसी चुनौतियों का और अधिक प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए वार्षिक प्रणाली को पुनः लागू किया जाना चाहिए।

5) अनुसंधान और विकास (Research and Development):

हाँलाकि, यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि जिन पी.एच.डी. के छात्रों का इस लॉकडाउन के वक्त pre-submission व submission का वक्त था उनके अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन के कारण अनुसंधान केंद्रों के कार्यकलाप काफी प्रभावित हुए हैं। मुख्य रूप से पी.एच.डी. छात्र, स्कॉलर्स, प्रोजेक्ट प्रमुख (project heads) व प्रोजेक्ट सहायक (project assistant) प्रभावित हुए हैं। फैलोशिप की कुल अवधि 5 साल निर्धारित है। इन सभी लोगों पर निर्धारित समय अंतराल के भीतर काम पूरा करने का तनाव बना रहेगा।

इसलिए, वर्तमान में पंजीकृत सभी अनुसंधानकर्ताओं के लिए उनके कार्यकलाप की अवधि को लॉकडाउन की वजह से कम से कम 6 महीने बढ़ाना आवश्यक है।

साथ ही, फेलोशिप की अवधि को तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि सरकार द्वारा फंडिंग एजेंसियों को

दिशा-निर्देश जारी नहीं किया जाता है। यह फंड CSIR, DST, UGC, INSPIRE फेलोशिप जैसे स्रोतों व निजी संस्थानों से आ सकती है। वित्तीय कारणों से ये फंडिंग एजेंसियाँ इस अवधि को नहीं बढ़ा सकती हैं। जब तक कि केंद्र सरकार इन संस्थानों के लिए फंड नहीं बढ़ाएगी है फंडिंग एजेंसियाँ अनुसंधान की अवधि नहीं बढ़ा सकती हैं।

इसलिए, केंद्र सरकार को इन फंडिंग एजेंसियों को अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए ताकि फैलोशिप की अवधि कम से कम 6 महीने तक बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, हम माँग करते हैं कि सभी मेडिकल और बायो-सेफ्टी प्रयोगशलाओं में पी.पी.ई. किट प्रदान किया जाना चाहिए।

6) मेडिकल शिक्षा पर:

यह भी पता चला है कि वर्तमान चिकित्सीय आपातकाल के चलते सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि सभी डेंटल कॉलेजों में इंटर्न को उनकी एक वर्ष की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप को पूरा करने का अवसर नहीं मिल पाएगा और डेन्टल चिकित्सा की विशिष्टताओं संबंधित सभी सामान्य चिकित्सीय क्रियाएं व इंटर्नशिप स्थगित कर दी जाए।

हमारा विचार है कि, यदि प्रशिक्षण अधूरा रहेगा, तो इसमें प्रशिक्षण की प्रक्रिया की अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए, भविष्य में बेहतरीन चिकित्सकों के निर्माण के रास्ते में अच्छा ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के हित में चिकित्सा शिक्षा की किसी भी शाखा की प्रशिक्षण अवधि के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वर्तमान संकट से उबरने के बाद अधूरे इंटर्नशिप को पूरा करने के संबंध में उचित समाधान निकाला जाए।

7) स्कूल स्तर पर समस्याएँ:

हम यह कहना चाहते हैं कि स्कूल स्तर पर ऑनलाइन शिक्षा की पहुँच की स्थिति और भी भयानक तस्वीर प्रस्तुत करती है। हमने देखा है कि कुछ निजी स्कूल ऐसी कक्षाएँ आयोजित करने में समर्थ हो सके हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के छात्र इससे पूरी तरह वंचित हैं। इन छात्रों ने अपना बहुमूल्य समय खो दिया है, जो उनके जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। ऑनलाइन कक्षाएँ उनके लिए एक विकल्प नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास स्मार्ट फोन, इंटरनेट कनेक्शन और यहाँ तक कि बिजली भी नहीं है। हम फिर से कहते हैं कि ऑनलाइन कक्षाएँ आमने-सामने रहकर होने वाली कक्षाओं का एक वैकल्पिक तरीका कभी नहीं हो सकती है, यहाँ तक कि निजी स्कूलों के छात्रों के लिए भी नहीं। मौजूदा स्थिति हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है, कि अगर हमारे देश में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच होती, तो आज किसी भी छात्र को नुकसान नहीं उठाना पड़ता। परिवार के सदस्य ही अपने घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम होते।

इसलिए, हमारा मानना हैं, कि सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की माँग, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और पुनर्जागरण के मनीषियों का एक सपना रहा है और जिसे स्वतंत्र भारत में किसी भी सरकार ने कभी महत्व नहीं दिया, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और इस लक्ष्य को सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा नीतियों को तैयार किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, हम यह कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन के कारण कई छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं। इसलिए, स्थिति सामान्य होने के बाद जैसे ही स्कूल खुलते हैं, परीक्षा आयोजित करने से पहले स्कूल स्तर पर पठन-पाठन के लिए उपयुक्त न्यूनतम समय दिया जाना चाहिए। बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए भी यह लागू किया जाना चाहिए। चूँकि बच्चे संक्रमण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, इसलिए नियमित अंतराल पर स्कूलों के परिसर की सफाई व सैनिटाइज़ेशन का अत्यधिक ध्यान रखा जाना चाहिए।

८) फीस के विषय में:

हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण लाखों परिवार अपनी आजीविका खो चुके हैं। उनमें से ज्यादातर हमारे समाज के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं। ऐसे परिवारों से संबंधित छात्र जिनके पास आय के न्यूनतम स्रोत भी नहीं हैं, उनके लिए फीस का भुगतान करना चुनौतीपूर्ण बन जाएगा। हालत ऐसी है कि वे किताबें, स्टेशनरी, स्कूल-ड्रेस और अन्य महत्वपूर्ण चीजों को भी वहन करने में भी अक्षम हो सकते हैं। यहाँ तक कि, जो लोग गरीबी के स्तर से ऊपर हैं, उन्हें भी इस लॉकडाउन के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। वे भी आर्थिक तंगी में हैं। वे जैसे-तैसे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, कि ऐसी स्थिति में, कई छात्रों को अपना अध्ययन छोड़ना पड़ सकता है।

इसलिए, हम माँग करते हैं कि सरकार को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों में सभी प्रकार के शुल्क माफ करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए और निजी संस्थानों की फीस को आम छात्रों की पहुँच में लाया जाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में बढ़ी हुई मेडिकल पी.जी. की फीस को भी वापस लिया जाना चाहिए।

हम उन छात्रों की मदद करने के लिए सरकार से एक विशेष पैकेज की माँग करते हैं जो किताबें, स्टेशनरी, स्कूल-ड्रेस और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों की कीमत को वहन करने में असमर्थ होंगे।

९) समस्याओं की विस्तृत पृष्ठभूमि:

हम यह भी समझते हैं कि पठन-पाठन और परीक्षाओं की ऑनलाइन प्रकिया पर ज्यादा जोर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक पहलू के रूप में सामने आ रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है। यह सरकार द्वारा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना है। शिक्षा को ऑनलाइन प्रकिया की ओर अग्रसर करने का कारण समझना बहुत मुश्किल नहीं है। निस्संदेह यह शिक्षा पर खर्च में कमी लाएगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और आम जन तक इसकी पहुँच की कीमत पर। इस संदर्भ में, हम यह कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 को लागू करने का कोई भी प्रयास, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने फिर से अपने वक्तव्य में व्यक्त किया है, सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगा। एम.एच.आर.डी. को दिए गए हमारे सुझाव में, हमने इसके बारे में विस्तार से बताया है और वर्तमान संवेदनशील स्थिति में हमें ऐसी नीति के विनाशकारी प्रभाव को और भी गहराई से समझने में मदद की है। हमें एक सार्वभौमिक और समावेशी शिक्षा प्रणाली विकसित करने की जरूरत है जो अधिक प्रभावी ढंग से वर्तमान गंभीर स्थिति का सामना कर सके।

ये सब बातें कहकर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी राय और सुझावों पर विचार किया जायेगा। पुनः हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि इस गंभीर स्थिति में शिक्षा से संबंधित तमाम तबकों के साथ आपात तौर पर एक व्यापक विचार-विमर्श का आयोजन किया जाए ताकि संपूर्ण समाज के हित में छात्र समुदाय और संपूर्ण शैक्षणिक बिरादरी के सामने आने वाली चुनौतियों का एक वास्तविक समाधान हो सके।

धन्यवाद सहित

(वी.एन. राजशेखर)
अखिल भारतीय अध्यक्ष
ए.आई.डी.एस.ओ.

(सौरभ घोष)
महासचिव
ए.आई.डी.एस.ओ.

प्रति:

1) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को।

2) देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को।

लॉकडाउन के दौरान सरकार की छात्र और शिक्षा विरोधी नीतियों के कारण उत्पन्न समस्याओं के उचित समाधान के लिए 22 जून को प्रधानमंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्री को दिया गया ज्ञापन

सेवा में,
माननीय प्रधानमंत्री जी,
भारत सरकार, नई दिल्ली
माननीय महोदय,

पिछले कुछ महीनों से, हमारे देश समेत पूरी दुनिया एक असाधारण स्थिति से गुजर रही है। लॉकडाउन ने आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों और शैक्षणिक कैलेंडर को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। हम यह कहने के लिए विवश हैं कि अनियोजित लॉकडाउन की तरह, सरकार और प्रशासन के पास लॉकडाउन के भयावह प्रभावों का समाधान करने के लिए कोई लोकहितकारी समाधान नहीं हैं! ऐसा प्रतीत होता है कि अकादमिक सत्र कब और कैसे शुरू किया जाए तथा सभी सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा या कक्षाएं कैसे आयोजित करें इस बारे में सरकारें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रही हैं। ऐसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक और अकादमिक मामलों में, अपेक्षित लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुसार एक व्यापक परामर्श करने के बजाय, एम.एच.आर.डी. और यू.जी.सी. ने एकतरफा छात्र विरोधी और शिक्षा विरोधी कई सुझाव दिये हैं।

लोग, सरकारों द्वारा 'ऑनलाइन शिक्षा' लागू करने और स्कूलों को जल्दबाजी में फिर से खोलने या ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019(एन.ई.पी.) को लागू करने के उतावलेपन से भौचक्के हैं। हमारे देश में 'ऑनलाइन शिक्षा' गरीब विरोधी है क्योंकि सामाजिक-आर्थिक असमानता ने देश के करोड़ों लोगों को तकनीक के उपयोग से वंचित कर रखा है। शिक्षाविदों के एक बड़े तबके की एकमत राय है कि 'ऑनलाइन शिक्षा' कभी भी एक सम्पूर्ण शिक्षा का मॉडल नहीं हो सकता है। यह ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा "एकतरफा ऑनलाइन व्याख्यान मॉडल" बन सकता है। ऑनलाइन व्याख्यान औपचारिक शिक्षा को केवल मदद कर सकता है और छात्रों को जोड़े रखने के लिए एक माध्यम हो सकता है, लेकिन अगर इसे सुपरिक्षित औपचारिक कक्षा-शिक्षण के स्थान पर लागू किया जाता है तो यह एक भारी तबाही ला देगा। इसी तरह, प्रस्तावित अन्य वैकल्पिक परीक्षाएँ कभी भी किसी छात्र का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसे समय में जब सभी का जीवन दुःख-तकलीफों से घिर हुआ है, हम यह देखकर हैरान हैं कि सरकारें किस बेशर्मी से कॉर्पोरेट घरानों और निजी प्रबंधकों के निर्मम मुनाफाखोरी की सूत्रधार बनी हुई हैं।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी सरकार ने शिक्षा की दुर्दशा के बारे में ए.आई.डी.एस.ओ. और अनेक शिक्षाविदों द्वारा दिए गए कई मूल्यवान सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हमें उम्मीद है कि कम से कम अब आपकी सरकार लोगों की आवाज सुनने के लिए धैर्य दिखाएगी। इसलिए, हम सभी छात्र, अभिभावक, शिक्षक और अधोहस्ताक्षरित शिक्षाप्रेमी लोग शिक्षा और छात्र-समुदाय के भविष्य को बचाने के लिए आपके समक्ष निम्नलिखित माँग करते हैं:-

1. सरकार शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे। शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेने के लिए शिक्षाविदों, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, छात्र व शिक्षक संगठनों को शामिल करते हुए विभिन्न स्तरों पर लोकतांत्रिक तौर पर कमेटियों का गठन किया जाए।
2. वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सभी छात्रों के तमाम शिक्षा ऋण माफ किये जाएँ। इस शैक्षणिक वर्ष के लिए सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों में सभी प्रकार के शुल्क माफ किये जाएँ। निजी संस्थानों में फीस को आम छात्रों की पहुंच के दायरे में लाया जाए। सभी शोधार्थियों के लिए कम से कम 6 महीने के लिए फेलोशिप की अवधि बढ़ाई जाये।
3. शिक्षा क्षेत्र और छात्रों के लिए एक वि शेज़ आर्थिक पैकेज घोज़ित किया जाए। सभी छात्रों को हर प्रकार के सार्वजनिक और निजी परिवहन में यात्रा करने के लिए मुफ्त पास प्रदान किये जाए।
4. सभी संस्थानों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए व पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी नियुक्त किये जायें। यह सुनिश्चित किया जाए कि कक्षाओं के शुरू होने से पहले सभी शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों, जिनको क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, को अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर लिया गया हो।
5. भेदभावपूर्ण और गरीब-विरोधी 'ऑनलाइन शिक्षा' नहीं चाहिए। लम्बे समय से जाँची-परखी औपचारिक कक्षा-शिक्षण को ऑनलाइन शिक्षा से प्रतिस्थापित न किया जाए। लिखित परीक्षा को ऑनलाइन परीक्षा या अन्य प्रस्तावित विकल्पों से न बदला जाए।
6. सभी परीक्षाएं कोविड महामारी की स्थिति के सामान्य होने के बाद ही आयोजित की जानी चाहिए। सभी प्रवेश परीक्षाओं या सभी बोर्ड, विश्वविद्यालयों, संस्थानों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सभी परीक्षाएँ इस तरह से आयोजित की जाएँ ताकि कोई भी छात्र परीक्षा में शामिल होने से या अगले शैक्षणिक सत्र में दाखिला लेने से वंचित न हो व इसे सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेन्डर के बीच एक सामंजस्य बनाया जाए। पूरे देश में अव्यवस्थित हो चुके शैक्षणिक कैलेन्डर के मद्देनजर शिक्षा के मानक व गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सेमेस्टर प्रणाली को वार्षिक परीक्षा प्रणाली से बदला जाए।
7. इंटर्नशिप की रोटेटरी ड्यूटी सहित चिकित्सा से संबंधित सभी पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण अवधि को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। कोविड वार्डों में काम करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मीयों को पर्याप्त PPE किट प्रदान करें और इन योद्धाओं के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को न होने दिया जाए।
8. कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए शिक्षा और छात्र विरोधी नीतियों को लागू करना बंद किया जाए।

धन्यवाद सहित

(वी.एन. राजशेखर)
अखिल भारतीय अध्यक्ष
ए.आई.डी.एस.ओ.

(सौरभ घोष)
महासचिव
ए.आई.डी.एस.ओ.

#RayOfHope

स्टूडेंट्स प्लेज द्वारा फेसबुक लाइव व्याख्यान श्रृंखला

लॉकडाउन के दौरान, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एआईडीएसओ) के केंद्रीय मुखपत्र- 'स्टूडेंट्स प्लेज' ने अपने फेसबुक पेज **[https://www.facebook.com/STUDENTSPLEDGEQUARTERLY]** पर एक फेसबुक लाइव व्याख्यान श्रृंखला- **#RayofHope** शुरू की है। इस श्रृंखला में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक समस्याओं और महान व्यक्तित्वों के जीवन-संघर्ष पर चर्चा की है।

9 मई 2020 को, 75 वें फासीवाद-विरोधी विजय दिवस के अवसर पर ***'भविष्य समाजवाद ही क्यों है'*** विषय पर एक चर्चा हुई।प्रोलेतारियन एरा, एक अंग्रेजी पाक्षिक के संपादकीय बोर्ड के सदस्य श्री अमिताभ चटर्जी ने इस दिन और समाजवाद के महत्व पर मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण के खात्मे पर चर्चा की।

14 मई 2020 को, ***'लॉकडाउन के दौरान हमारे देश में किसानों की स्थिति '*** पर एक चर्चा हुई। प्रख्यात किसान नेता, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) के वर्किंग ग्रुप के सदस्य श्री सत्यवान ने किसानों की दुर्दशा और साथ ही यह कैसे छात्रों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, पर विचार-विमर्श किया।

19 मई 2020 को, **'लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और उनका भविष्य'** पर एक चर्चा आयोजित की गई। प्रख्यात ट्रेड यूनियन नेता और ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) के उपाध्यक्ष श्री के. राधाकृष्ण ने प्रवासी श्रमिकों की स्थिति और छात्रों की भूमिका पर चर्चा की।

29 मई 2020 को, '*कोरोना के नाम पर*' एक चर्चा का आयोजन किया गया था। जन आंदोलन के प्रतिष्ठित व्यक्ति और मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी (एमएसडी) के सचिव श्री द्वारिकानाथ रथ ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण किया जो कोविद-१९ को फैलाने में सहायता कर रही हैं और दिखाया है कि शासक वर्ग अपने भ्रामक एजेंडे से किस तरह से भयभीत कर रहा है।

2 जून 2020 को, केरल के जन प्रतिरोध समिति (पीपुल्स रेजिस्टेंस कमेटी) के उपाध्यक्ष डॉ वी. वेणुगोपाल ने **'*अय्यनकली के जीवन-संघर्ष*'** पर चर्चा की, जो एक पुनर्जागरण व्यक्तित्व और समाज सुधारक थे जिन्होंने उत्पीड़ित लोगों विशेष रूप से अछूत लोगों के लिए काम किया था।

9 जून 2020 को '*आदिवासी जन-उभार उलगुलान के महानायक -शहीद बिरसा मुण्डा का जीवन संघर्ष*' पर एक चर्चा की गई। यह चर्चा एआईडीएसओ के पूर्व महासचिव रबिन समाजपति ने की। उन्होंने बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष पर विस्तार से चर्चा की।

15 जून 2020 को अखिल भारतीय साम्राज्यवाद विरोधी मंच के उपाध्यक्ष प्रो. के.श्रीधर (सेवानिवृत्त) द्वारा **'*महाकवि श्री श्री:जीवन व संघर्ष*'** विषय पर विस्तार से चर्चा की गई।

19 जून 2020 को आईआईएम, बैंगलौर के डिसीजन साइंटिस्ट प्रो. मलय भट्टाचार्य द्वारा ***'महत्वपूर्ण होना अच्छा है लेकिन अच्छा होना और भी अधिक महत्वपूर्ण है'*** विषय पर बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया गया। जिसने सभी श्रोताओं को प्रेरित किया है।

23 जून 2020 महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक व शिक्षाविद ***'गोपबंधुः जीवन व संघर्ष'*** विषय पर चर्चा की गई। यह चर्चा एआईडीएसओ के पूर्व राष्ट्रीय नेता धूर्जटी दास द्वारा विस्तार से की गई।

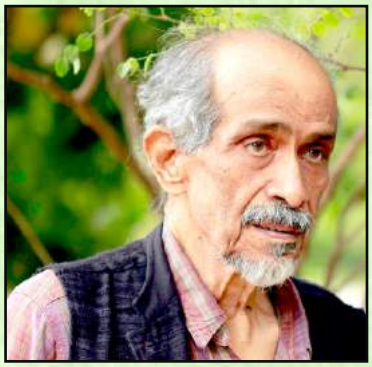

3 जुलाई 2020 को विज्ञान विषय ***'मूल विज्ञान और शोध की जरूरत'*** पर चर्चा की गई। चर्चा पदम् विभूषण प्रो. रोद्दम नरसिम्हा, एफआरएस, इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड फ्लूइड डायनामिस्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर (सेवानिवृत्त) ने विस्तार से चर्चा की।

9 जुलाई 2020 नवजागरण काल के महान धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी विचारक, स्त्री शिक्षा के पक्षधर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्विशताब्दी जन्म वर्ष के उपलक्ष पर ***'ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जीवन संघर्ष और उनकी विरासत'*** विषय पर चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा को एआईडीएसओ के भूतपूर्व महासचिव सपन चटर्जी द्वारा विस्तार से संबोधित किया गया।

अंत में यह उल्लेख करना जरुरी हैं कि प्रो. सौमित्रो बनर्जी, आईआईएसईआर, कोलकाता द्वारा *'लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की समस्याएं और उनका समाधान'* के बारे में एक फेसबुक लाइव व्याख्यान 24 जून 2020 को निर्धारित किया गया था। चक्रवात 'अम्फान' के प्रभाव के कारण कोलकाता में नेटवर्क की समस्या उत्पन्न हुई और हमे इस कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम विभिन्न सामाजिक-शैक्षिक समस्याओं व महान हस्तियों के जीवन-संघर्ष पर लाइव व्याख्यान जारी रखेंगे।

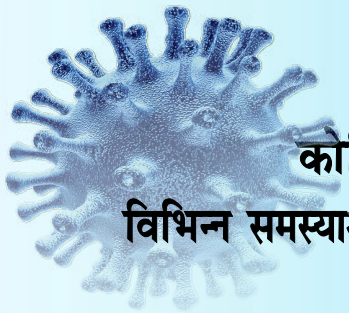

कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के बीच छात्रों की विभिन्न समस्याओं एवं केंद्र व राज्य सरकारों की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ

एआईडीएसओ के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलन

झारखंडः सभी निजी स्कूलों में फीस माफ करने, स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकारी भत्ता दिलाने, दूसरे राज्य में फँसे छात्रों एवं मजदूरों को अविलम्ब वापस लाने व उनके लिए भोजन व आश्रय की व्यवस्था करने की मांग पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गेनाईजेशन, झारखंड प्रदेश कमेटी की ओर 25 मई 2020 को राज्य स्तरीय मांग दिवस के रूप में मनाया गया । झारखंड के विभिन्न स्कूल- कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों ने बढ़-चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिए। इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री एवं मुख्यमंत्री को ट्विटर, ई-मेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से उपर्युक्त मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा गया।

बिहारः बिहार के विभिन्न शहरों में निजी किराए के मकानों में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों का लॉकडाउन अवधि का किराया माफ करने, सरकारी शिक्षण संस्थानों की हर तरह का शुल्क माफ करने, लॉकडाउन अवधि की निजी स्कूलों की फीस माफ करने एवं संबंधित स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी भत्ता देने की मांग को लेकर एआईडीएसओ की बिहार राज्य कमेटी के आह्वान पर 05 जून 2020 को राज्यव्यापी मांग दिवस आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी के माध्यम से ईमेल के द्वारा भेजा गया। मांगों से संबंधित तख्तियां लिए हुए खींची गई तस्वीरों को राज्य भर में कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किया। एआईडीएसओ बिहार फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई इस मांग को राज्य के हजारों छात्रों ने शेयर किया एवं चार लाख से ज्यादा छात्रों ने देखा एवं इस आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की।

पश्चिम बंगालः 26 मई 2020 को एआईडीएसओ के आह्वान पर बंगाल के छात्रों ने छात्र ष्समाज मांग दिवसष राज्य भर में आयोजित किया। विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन के साथ ज्ञापन सौंपा गया। वहीं एआईडीएसओ ने केंद्र व राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ ऑनलाइन मुहिम चलाने का आह्वान किया गया। एआईडीएसओ ने मांग की कि कोविड -19 के कारण हुई शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए एकतरफा फैसले लेने के बजाय सरकार हिस्सेदारों के साथ लोकतांत्रिक तरीके से परामर्श करना चाहिए; इस उद्देश्य के लिए, विभिन्न स्तरों पर शिक्षाविदों, शिक्षकों और

छात्रों की समन्वय समितियों का गठन तुरंत किया जाए; इंटरनेट सुबिधायें न होने की कारण छात्रों को शिक्षा के अधिकार से बंचित करने वाला ऑनलाइन शिक्षा तुरंत बंद किया जाए; विभिन्न स्तरों पर सभी प्रकार के फीसों को माफ किया जाना चाहिए; सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन में निः शुल्क यात्रा करने के लिए सभी छात्रों को पास प्रदान किया जाए; प्रवासी श्रमिकों सहित गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया जाए; कोविड -19 और अम्फान चक्रवात के पीड़ितों के भोजन-आश्रय-स्वास्थ्य-शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेना होगा।

ओडिशाः कोविड-19 एवं अम्फन तूफान की दोहरी त्रासदी को देखते हुए सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के हर तरह के शुल्क माफ करने, नौंवीं व दसवीं कक्षा के छात्रों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराने, ऑनलाइन परीक्षाओं पर रोक लगाने, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, आईटीआई एवं कॉलेज विश्वविद्यालयों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में छात्रों-शिक्षकों के साथ चर्चा-बहस करने एवं छात्रों के परिवहन, भोजन, ठहरने की व्यवस्था करने और राज्य भर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग पर 26 मई 2020 को एआईडीएसओ द्वारा उड़ीसा राज्य स्तरीय मांग दिवस आयोजित किया गया। इन मांगों के समर्थन में ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया।

मध्यप्रदेशः जानलेवा महामारी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के फैसले के विरोध में एआईडीएसओ की मध्यप्रदेश राज्य कमेटी द्वारा 3 जून 2020 को राज्यव्यापी विरोध दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर विभिन्न जिलों में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने संबंधित जिलाधिकारी से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन सौंपा।

छत्तीसगढ़ः बिना परीक्षा छात्रों को प्रमोट करने पर रोक लगाने, प्रवासी छात्रों के भोजन व आश्रय की व्यवस्था करने एवं छात्रों के हर तरह की फीस माफ करने की मांग पर 18 जून 2020 को एआईडीएसओ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ऑनलाइन मांग दिवस आयोजित किया गया।

हरियाणा: 16 जून 2020 को एआईडीएसओ की हरियाणा प्रदेश कमेटी के आह्वान पर स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की हर तरह की फीस माफ करने, छात्रों को आर्थिक पैकेज प्रदान कर सहायता देने, सेमेस्टर प्रणाली को खत्म कर वार्षिक प्रणाली लागू करने एवं कोरोना संकट के दौरान परीक्षाओं पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर राज्यव्यापी मांग दिवस आयोजित किया गया। उपरोक्त मांगों से संबंधित तख्तियां लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं ने तस्वीरें खींची एवं सोशल मीडिया पर साझा की। साथ ही मांगों के समर्थन में ऑनलाइन हस्ताक्षर भी इकट्ठा किए, जिसे 22 जून 2020 को प्रधानमंत्री को भेजा गया।

उत्तराखंड: लॉकडाउन अवधि की सभी प्रकार की स्कूल-कॉलेजों की फीस माफ करने की मांग पर 07 जून 2020 को एआईडीएसओ की ओर से उत्तराखंड राज्य स्तरीय मांग दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में 400 से अधिक छात्रों ने मांगों की तख्ती लिए तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इस आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की।

कर्नाटक: 26 मई 2020 को कर्नाटक राज्य स्तरीय मांग दिवस आयोजित किया गया। जिसमें ऑनलाइन प्रचार के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को मांगों का ज्ञापन भेजा गया। एआईडीएसओ ने स्नातक एवं वीटीयू (VTU) छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर परीक्षा लेने पर रोक लगाने, जनवादी तरीके से शिक्षाविदों, शिक्षकों एवं छात्रों के साथ चर्चा कर परीक्षा प्रारूप तैयार करने, क्वॉरेंटाइन सेंटर के रूप में इस्तेमाल स्कूल-कॉलेजों को सेनेटाईज कर कक्षाएं संचालित करने, राज्य के सभी छात्रों को फ्री बस यात्रा पास देने और छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि एवं सभी के लिए सुनिश्चित करने की मांग किया।

तमिलनाडु: 23-25 मई 2020 को केंद्र व राज्य सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ तमिलनाडु में राज्यव्यापी विरोध दिवस आयोजित किया गया। जिसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया। तमिलनाडु राज्य कमेटी ने छात्रों की सहभागिता के लिए आभार प्रकट किया एवं छात्र आंदोलन तेज करने का आह्वान किया।

त्रिपुरा: 23 से 25 मई 2020 को एआईडीएसओ की त्रिपुरा राज्य कमेटी ने हर स्तर पर छात्रों की फीस पूर्णतः माफ करने और पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं गैरशिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त कर लॉकडाउन अवधि की छात्रों की पढ़ाई की भरपाई करने की मांग पर राज्यव्यापी मांग दिवस आयोजित किया।

"अतः हमें हर पग पर यह याद कराया जाता है कि प्रकृति पर हमारा शासन किसी विदेशी जाति पर एक विजेता के शासन जैसा कदापि नहीं है, वह प्रकृति से बाहर के किसी व्यक्ति जैसा शासन नहीं है, बल्कि रक्त, मांस, और मस्तिष्क से युक्त हम प्रकृति के ही प्राणी हैं, हमारा अस्तित्व उस के मध्य है और उस के ऊपर हमारा सारा शासन केवल इस बात में निहित है कि अन्य सभी प्राणियों से हम इस मायने में श्रेष्ठ हैं कि हम प्रकृति के नियमों को जान सकते हैं और ठीक-ठीक लागू कर सकते हैं।"

— फ्रेडरिक एंगेल्स

(1876) वानर के नर बनने में श्रम की भूमिका